आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक–15.12.2025 को अपराह्न 03.00 बजे से आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर की बैठक की कार्यवाही :–

आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर की अनुमति से संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्य एवं विशेष आमंत्रित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी ।

उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुरूप।

- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा जानकारी दी गयी कि दिनांक–**24.10.2025** को सम्पन्न क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के आलोक में अनुवर्त्ती कार्रवाई करते हुए अनुपालन किया जा रहा है।
- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर द्वारा बस के स्थायी परमिट एवं अन्य मामले हेतु कुल 24 आवेदन निर्णयार्थ बैठक में उपस्थापित किए गए हैं। सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि आवेदन के साथ संलग्न संगत प्रमाण–पत्र/कागजातों की वैधता/पात्रता/उपयुक्तता की सम्पूर्ण जाँच कार्यालय द्वारा कर ली गई है। कार्यालय द्वारा तैयार कार्यावली में वाहनों की विवरणी/समय सारणी/मार्ग/दूरी/प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की संख्या आदि की विवरणी भी अंकित है। समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए जिसका विवरण अधोलिखित कंडिकाओं में वर्णित है:–

दिनांक–15.12.2025 को प्राधिकार बोर्ड की बैठक में रखे जाने वाले सवारी गाड़ी की स्थायी परमिट हेतु प्राप्त आवेदन

कार्यावली संख्या – 01

प्राधिकार की बैठक दिनांक–24.10.2025 का लंबित संशोधित समय–सारणी।

क्र० सं०	पूर्व का आवेदन क्रमांक	वाहन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति की स्थिति (प्राप्त/अप्राप्त)	प्राधिकार का निर्णय
1	9	BR19F-5949 (09.01.2013) श्री धर्मबीर सहनी, पिता–श्री सुधीर सहनी, पता–बलुआही, कोशी कॉलेज, खगड़िया, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–10.10.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 डाउन, खगड़िया से आलमनगर। भाया–महेशखूँट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एव बेलदौर। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–08.10.25 फिटनेश–19.07.26 बीमा–09.03.26 प्रदूषण–13.10.25	<u>दि0–24.10.2025 बैठक की कार्यवाही में समय–सारणी के प्रकाशन के उपरान्त प्राप्त आपत्ति</u> ➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री कृष्ण मोहन, वाहन सं0–BR19P-1266 का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता इसराहा प्र0 20:44 20:45 आपत्तिकर्त्ता के द्वारा मार्ग 3045 पर प्रस्तावित समय–सारणी प्रकाशित किया गया है। दिनांक–24.10.2025 की बैठक में आवेदनकर्त्ता का आवेदन जांच करने के उपरान्त ऑनलाईन और कार्यालय में समर्पित आवेदन में भिन्नता पायी गयी जिसके कारण इनके आवेदन को निरस्त करने की बात हुई थी। बैठक के बाद आवेदनकर्त्ता ने अपने स्तर से कार्यालय में पहुँच कर तकनीकि त्रुटि बताया है। जबकि उनके द्वारा पूर्व में भी कई बार ऐसा किया गया है। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार किसी भी बिन्दु पर 05 मिनट का अंतराल होना जरूरी है। इन्होंने जानबूझ कर आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमसबों ने यह भी लिखा है कि मेरे और अन्य	➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है। परमिट आवेदन ऑनलाईन से हटा दिया जाय।

MEETING HELD ON 15-12-2025

वाहन स्वामी से भी टकराव है। प्राधिकार के निर्णय के उपरान्त ही मुझें एक बार आपत्ति करने का मौका दिया जाय। प्राधिकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और प्रकाशित आवेदन के समय–सारणी की स्वीकृति ना देकर ऑनलाईन आवेदन का प्रकाशन किया गया है।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि हम सभी वाहन स्वामियों को प्रकाशित समय–सारणी के टकराव बिन्दु पर आपत्ति लेने की कृपा की जाय और आवेदनकर्त्ता के आवेदन को अगली बैठक में विचार करने की कृपा की जाय। जिसके लिए श्रीमान् का सदा अभारी रहूँगा।

- द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री अमरेन्द्र कुमार, वाहन सं0–BR09PA-9218 का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है :–

	आवेदनकर्त्ता	आपत्तिकर्त्ता
महेशखूंट प्र0	17:49	17:50

आपत्तिकर्त्ता के द्वारा मार्ग 3045 पर प्रस्तावित समय–सारणी प्रकाशित किया गया है। दिनांक–24.10.2025 की बैठक में आवेदनकर्त्ता का आवेदन जांच करने के उपरान्त ऑनलाईन और कार्यालय में समर्पित आवेदन में भिन्नता पायी गयी जिसके कारण इनके आवेदन को निरस्त करने की बात हुई थी। बैठक के बाद आवेदनकर्त्ता ने अपने स्तर से कार्यालय में पहुँच कर तकनीकि त्रुटि बताया है। जबकि उनके द्वारा पूर्व में भी कई बार ऐसा किया गया है। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार किसी भी बिन्दु पर 05 मिनट का अंतराल होना जरूरी है। इन्होंने जानबूझ कर आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमसबों ने यह भी लिखा है कि मेरे और अन्य वाहन स्वामी से भी टकराव है। प्राधिकार के निर्णय के उपरान्त ही मुझें एक बार आपत्ति करने का मौका दिया जाय। प्राधिकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और प्रकाशित आवेदन के समय–सारणी की स्वीकृति ना देकर ऑनलाईन आवेदन का प्रकाशन किया गया है।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि हम सभी वाहन स्वामियों को प्रकाशित समय–सारणी के टकराव बिन्दु पर आपत्ति लेने की कृपा की जाय और आवेदनकर्त्ता के आवेदन को अगली बैठक में विचार करने की कृपा की जाय। जिसके लिए श्रीमान् का सदा

MEETING HELD ON 15-12-2025

					अभारी रहूँगा। आवेदनकर्त्ता एवं प्रथम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग खगड़िया से आलमनगर है तथा द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग आलमनगर से खगड़िया है।	
2	10	BR09R-1044 (08.09.2014) श्री धर्मबीर सहनी, पिता–श्री सुधीर सहनी, पता–बलुआही, कोशी कॉलेज, खगड़िया, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–10.10.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 डाउन, खगड़िया से आलमनगर। भाया–महेशखूँट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–07.12.25 फिटनेश–04.02.26 बीमा–18.09.26 प्रदूषण–29.01.26	दि0–24.10.2025 बैठक की <u>कार्यवाही में समय–सारणी के प्रकाशन के उपरान्त प्राप्त आपत्ति</u> ➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री राजेश कुमार मिश्रा, वाहन सं0–**BR34P-6702** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता महेशखूंट प्र0 06:28 06:30 आपत्तिकर्त्ता के द्वारा मार्ग 3045 पर प्रस्तावित समय–सारणी प्रकाशित किया गया है। दिनांक– 24.10.2025 की बैठक में आवेदनकर्त्ता का आवेदन जांच करने के उपरान्त ऑनलाईन और कार्यालय में समर्पित आवेदन में भिन्नता पायी गयी जिसके कारण इनके आवेदन को निरस्त करने की बात हुई थी। बैठक के बाद आवेदनकर्त्ता ने अपने स्तर से कार्यालय में पहुँच कर तकनीकि त्रुटि बताया है। जबकि उनके द्वारा पूर्व में भी कई बार ऐसा किया गया है। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार किसी भी बिन्दु पर 05 मिनट का अंतराल होना जरूरी है। इन्होंने जानबूझ कर आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमसबों ने यह भी लिखा है कि मेरे और अन्य वाहन स्वामी से भी टकराव है। प्राधिकार के निर्णय के उपरान्त ही मुझें एक बार आपत्ति करने का मौका दिया जाय। प्राधिकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और प्रकाशित आवेदन के समय–सारणी की स्वीकृति ना देकर ऑनलाईन आवेदन का प्रकाशन किया गया है। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि हम सभी वाहन स्वामियों को प्रकाशित समय–सारणी के टकराव बिन्दु पर आपत्ति लेने की कृपा की जाय और आवेदनकर्त्ता के आवेदन को अगली बैठक में विचार करने की कृपा की जाय। जिसके लिए श्रीमान् का सदा अभारी रहूँगा। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री शैलेश कुमार, वाहन सं0–**BR25PA-0653** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है :–	➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है। परमिट आवेदन ऑनलाईन से हटा दिया जाय।

MEETING HELD ON 15-12-2025

आवेदनकर्त्ता	आपत्तिकर्त्ता
बेलदौर प्र0	09:04	09:05

आपत्तिकर्त्ता के द्वारा मार्ग 3045 पर प्रस्तावित समय–सारणी प्रकाशित किया गया है। दिनांक–24.10.2025 की बैठक में आवेदनकर्त्ता का आवेदन जांच करने के उपरान्त ऑनलाईन और कार्यालय में समर्पित आवेदन में भिन्नता पायी गयी जिसके कारण इनके आवेदन को निरस्त करने की बात हुई थी। बैठक के बाद आवेदनकर्त्ता ने अपने स्तर से कार्यालय में पहुँच कर तकनीकि त्रुटि बताया है। जबकि उनके द्वारा पूर्व में भी कई बार ऐसा किया गया है। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार किसी भी बिन्दु पर 05 मिनट का अंतराल होना जरूरी है। इन्होंने जानबूझ कर आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमसबों ने यह भी लिखा है कि मेरे और अन्य वाहन स्वामी से भी टकराव है। प्राधिकार के निर्णय के उपरान्त ही मुझें एक बार आपत्ति करने का मौका दिया जाय। प्राधिकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और प्रकाशित आवेदन के समय–सारणी की स्वीकृति ना देकर ऑनलाईन आवेदन का प्रकाशन किया गया है।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि हम सभी वाहन स्वामियों को प्रकाशित समय–सारणी के टकराव बिन्दु पर आपत्ति लेने की कृपा की जाय और आवेदनकर्त्ता के आवेदन को अगली बैठक में विचार करने की कृपा की जाय। जिसके लिए श्रीमान् का सदा अभारी रहूँगा।

- तृतीय आपत्तिकर्त्ता श्री शैलेश कुमार, वाहन सं0– **BR19P-9918** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है :–

	आवेदनकर्त्ता	आपत्तिकर्त्ता
खगडिया प्र0	11:02	11:03
महेशखूंट प्र0	11:40	11:41
बेलदौर प्र0	13:11	13:10

आपत्तिकर्त्ता के द्वारा मार्ग 3045 पर प्रस्तावित समय–सारणी प्रकाशित किया गया है। दिनांक–24.10.2025 की बैठक में आवेदनकर्त्ता का आवेदन जांच करने के उपरान्त ऑनलाईन और कार्यालय में समर्पित आवेदन में भिन्नता पायी गयी जिसके कारण इनके आवेदन को निरस्त करने की बात हुई थी। बैठक के बाद आवेदनकर्त्ता ने अपने स्तर से कार्यालय में पहुँच कर तकनीकि त्रुटि बताया है। जबकि

MEETING HELD ON 12-2025

उनके द्वारा पूर्व में भी कई बार ऐसा किया गया है। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार किसी भी बिन्दु पर 05 मिनट का अंतराल होना जरूरी है। इन्होंने जानबूझ कर आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमसबों ने यह भी लिखा है कि मेरे और अन्य वाहन स्वामी से भी टकराव है। प्राधिकार के निर्णय के उपरान्त ही मुझें एक बार आपत्ति करने का मौका दिया जाय। प्राधिकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और प्रकाशित आवेदन के समय–सारणी की स्वीकृति ना देकर ऑनलाईन आवेदन का प्रकाशन किया गया है।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि हम सभी वाहन स्वामियों को प्रकाशित समय–सारणी के टकराव बिन्दु पर आपत्ति लेने की कृपा की जाय और आवेदनकर्त्ता के आवेदन को अगली बैठक में विचार करने की कृपा की जाय। जिसके लिए श्रीमान् का सदा अभारी रहूँगा।

- चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता श्री आशुतोष चन्द्र चौधरी, वाहन सं0–**BR11PA-9418** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है :–

	आवेदनकर्त्ता	आपत्तिकर्त्ता
बेलदौर प्र0	15:59	16:00

आपत्तिकर्त्ता के द्वारा मार्ग 3045 पर प्रस्तावित समय–सारणी प्रकाशित किया गया है। दिनांक–24.10.2025 की बैठक में आवेदनकर्त्ता का आवेदन जांच करने के उपरान्त ऑनलाईन और कार्यालय में समर्पित आवेदन में भिन्नता पायी गयी जिसके कारण इनके आवेदन को निरस्त करने की बात हुई थी। बैठक के बाद आवेदनकर्त्ता ने अपने स्तर से कार्यालय में पहुँच कर तकनीकि त्रुटि बताया है। जबकि उनके द्वारा पूर्व में भी कई बार ऐसा किया गया है। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार किसी भी बिन्दु पर 05 मिनट का अंतराल होना जरूरी है। इन्होंने जानबूझ कर आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमसबों ने यह भी लिखा है कि मेरे और अन्य वाहन स्वामी से भी टकराव है। प्राधिकार के निर्णय के उपरान्त ही मुझें एक बार आपत्ति करने का मौका दिया जाय। प्राधिकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और प्रकाशित आवेदन के समय–सारणी की स्वीकृति ना देकर ऑनलाईन आवेदन का प्रकाशन किया गया है।

MEETING HELD ON 15-12-2025

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि हम सभी वाहन स्वामियों को प्रकाशित समय–सारणी के टकराव बिन्दु पर आपत्ति लेने की कृपा की जाय और आवेदनकर्त्ता के आवेदन को अगली बैठक में विचार करने की कृपा की जाय। जिसके लिए श्रीमान् का सदा अभारी रहूँगा।

- पंचम आपत्तिकर्त्ता श्री अमरेन्द्र कुमार, वाहन सं0–**BR11PD-9218** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है :–

	आवेदनकर्त्ता	आपत्तिकर्त्ता
इसराहा प्र0	12:29	12:30
इसराहा प्र0	16:23	16:24
महेशखूंट प्र0	16:58	17:00

आपत्तिकर्त्ता के द्वारा मार्ग 3045 पर प्रस्तावित समय–सारणी प्रकाशित किया गया है। दिनांक–24.10.2025 की बैठक में आवेदनकर्त्ता का आवेदन जांच करने के उपरान्त ऑनलाईन और कार्यालय में समर्पित आवेदन में भिन्नता पायी गयी जिसके कारण इनके आवेदन को निरस्त करने की बात हुई थी। बैठक के बाद आवेदनकर्त्ता ने अपने स्तर से कार्यालय में पहुँच कर तकनीकि त्रुटि बताया है। जबकि उनके द्वारा पूर्व में भी कई बार ऐसा किया गया है। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार किसी भी बिन्दु पर 05 मिनट का अंतराल होना जरूरी है। इन्होंने जानबूझ कर आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमसबों ने यह भी लिखा है कि मेरे और अन्य वाहन स्वामी से भी टकराव है। प्राधिकार के निर्णय के उपरान्त ही मुझे एक बार आपत्ति करने का मौका दिया जाय। प्राधिकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और प्रकाशित आवेदन के समय–सारणी की स्वीकृति ना देकर ऑनलाईन आवेदन का प्रकाशन किया गया है।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि हम सभी वाहन स्वामियों को प्रकाशित समय–सारणी के टकराव बिन्दु पर आपत्ति लेने की कृपा की जाय और आवेदनकर्त्ता के आवेदन को अगली बैठक में विचार करने की कृपा की जाय। जिसके लिए श्रीमान् का सदा अभारी रहूँगा।

- छठे आपत्तिकर्त्ता श्रीमती स्वेता सोनी, वाहन सं0–**BR09PA-8518** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट समय–सारणी के बीच

MEETING HELD ON 15-12-2025

					निम्न टकराव है :— आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता आलमनगर प्र0 08:28 08:29 महेशखूंट प्र0 09:44 09:48 आलमनगर प्र0 14:59 15:00 आपत्तिकर्त्ता के द्वारा मार्ग 3045 पर प्रस्तावित समय—सारणी प्रकाशित किया गया है। दिनांक—24.10.2025 की बैठक में आवेदनकर्त्ता का आवेदन जांच करने के उपरान्त ऑनलाईन और कार्यालय में समर्पित आवेदन में भिन्नता पायी गयी जिसके कारण इनके आवेदन को निरस्त करने की बात हुई थी।. बैठक के बाद आवेदनकर्त्ता ने अपने स्तर से कार्यालय में पहुँच कर तकनीकि त्रुटि बताया है। जबकि उनके द्वारा पूर्व में भी कई बार ऐसा किया गया है। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार किसी भी बिन्दु पर 05 मिनट का अंतराल होना जरूरी है। इन्होंने जानबूझ कर आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमसबों ने यह भी लिखा है कि मेरे और अन्य वाहन स्वामी से भी टकराव है। प्राधिकार के निर्णय के उपरान्त ही मुझें एक बार आपत्ति करने का मौका दिया जाय। प्राधिकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और प्रकाशित आवेदन के समय—सारणी की स्वीकृति ना देकर ऑनलाईन आवेदन का प्रकाशन किया गया है। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि हम सभी वाहन स्वामियों को प्रकाशित समय—सारणी के टकराव बिन्दु पर आपत्ति लेने की कृपा की जाय और आवेदनकर्त्ता के आवेदन को अगली बैठक में विचार करने की कृपा की जाय। जिसके लिए श्रीमान् का सदा अभारी रहूँगा। ➢ सप्तम आपत्तिकर्त्ता श्री कृष्ण मोहन, वाहन सं0—**BR34P-6487** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय—सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट समय—सारणी के बीच निम्न टकराव है :— आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता आलमनगर प्र0 05:39 05:40 आपत्तिकर्त्ता के द्वारा मार्ग 3045 पर प्रस्तावित समय—सारणी प्रकाशित किया गया है। दिनांक—24.10.2025 की बैठक में आवेदनकर्त्ता का आवेदन जांच करने के उपरान्त ऑनलाईन और कार्यालय में समर्पित आवेदन में भिन्नता पायी गयी जिसके कारण इनके आवेदन को निरस्त करने की बात हुई थी। बैठक के बाद आवेदनकर्त्ता ने अपने स्तर से कार्यालय में पहुँच कर	

MEETING HELD ON 12-2025

					तकनीकि त्रृटि बताया है। जबकि उनके द्वारा पूर्व में भी कई बार ऐसा किया गया है। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार किसी भी बिन्दु पर 05 मिनट का अंतराल होना जरूरी है। इन्होंने जानबूझ कर आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमसबों ने यह भी लिखा है कि मेरे और अन्य वाहन स्वामी से भी टकराव है। प्राधिकार के निर्णय के उपरान्त ही मुझें एक बार आपत्ति करने का मौका दिया जाय। प्राधिकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और प्रकाशित आवेदन के समय–सारणी की स्वीकृति ना देकर ऑनलाईन आवेदन का प्रकाशन किया गया है। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि हम सभी वाहन स्वामियों को प्रकाशित समय–सारणी के टकराव बिन्दु पर आपत्ति लेने की कृपा की जाय और आवेदनकर्त्ता के आवेदन को अगली बैठक में विचार करने की कृपा की जाय। जिसके लिए श्रीमान् का सदा अभारी रहूँगा। आवेदनकर्त्ता एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग खगड़िया से आलमनगर है, प्रथम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग **MPPY** के तहत् अधिसूचित मार्ग बेलदौर से खगड़िया है तथा तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठे एवं सप्तम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग आलमनगर से खगड़िया है।	
3	15	BR34P-7120 (17.01.2025) श्री धर्मबीर सहनी, पिता–श्री सुधीर सहनी, पता–बलुआही, कोशी कॉलेज, खगड़िया, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–10.10.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–2, आलमनगर से खगड़िया। भाया–खुरहान, बेलदौर, सोनवर्षाघाट, महेशखूंट एवं मानसी। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–10.10.25 फिटनेश–16.01.27 बीमा–10.01.26 प्रदूषण–16.01.26	<u>दि0–24.10.2025 बैठक की कार्यवाही में समय–सारणी के प्रकाशन के उपरान्त प्राप्त आपत्ति</u> ➢ आपत्तिकर्त्ता श्री कृष्ण मोहन, वाहन सं0–**BR34P-5452** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता महेशखूंट प्र0 21:10 21:10 आपत्तिकर्त्ता के द्वारा मार्ग 3045 पर प्रस्तावित समय–सारणी प्रकाशित किया गया है जिसमें मार्ग की दूरी 66 किमी0 दर्शाया गया है। दिनांक–24.10. 2025 की बैठक में आवेदनकर्त्ता का आवेदन जांच करने के उपरान्त ऑनलाईन और कार्यालय में समर्पित आवेदन में भिन्नता पायी गयी जिसके कारण इनके आवेदन को निरस्त करने की बात हुई थी। बैठक के बाद आवेदनकर्त्ता ने अपने स्तर से कार्यालय में पहुँच कर मार्ग संख्या को भूलवश बताया है, मार्ग में उसराहा (इसराहा) और मार्ग की दूरी के बारे में कुछ नहीं बताया है, जबकि यह मार्ग सं0–2, 55	➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है। परमिट आवेदन ऑनलाईन से हटा दिया जाय।

MEETING HELD ON 15-12-2025

					किमी0 ऑनलाईन दिखा रहा है एंव इस मार्ग में उसराहा नहीं है। मैंने वाहन सं0–**BR34P-6292** से आपत्ति लगाया था क्योंकि ओग्रास गड़बड़ी के कारण उस समय मेरा दूसरा परमिट उठाव नहीं हुआ था। जिसके कारण मैंने आपत्ति लगाया और गाड़ी का परिचालन भी हो रहा था। मेरे आपत्ति को मान्य नहीं किया गया जो कि बिलकुल सही है क्योंकि बैठक के दिन मेरा दूसरा परमिट ऑनलाईन हो चुका था। जबकि मैंने यह भी लिखा है कि मेरे अन्य वाहन से भी टकराव है, प्राधिकार के निर्णय के उपरान्त ही मुझे एक बार आपत्ति करने का मौका दिया जाय। प्राधिकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और प्रकाशित आवेदन के समय–सारणी की स्वीकृति ना देकर ऑनलाईन आवेदन की स्वीकृति दे दी गई है। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि मेरे अन्य वाहन से टकराव बिन्दु का आपत्ति लिया जाय एवं मार्ग की दूरी का सत्यापन करने की कृपा की जाय और आवेदनकर्त्ता के आवेदन को अगली बैठक में रखा जाय। जिसके लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगा। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग आलमनगर से खगड़िया है।	
4	25 / 18	BR21P-8137 (07.06.2014) श्री अविनाश कुमार, पिता– श्री बच्चु सिंह पता–पतालपुरी मंदिर, न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला–नवादा।	प्रकाशन–10.10.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3011 मल्लेपुर स्टेशन से आढा। भाया–महिसौढी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–07.11.25 फिटनेश–07.09.26 बीमा–21.01.26 प्रदूषण–23.07.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
5	24 / 19	BR11PA-2365 (11.06.2016) श्री अविनाश कुमार, पिता– श्री बच्चु सिंह पता–पतालपुरी मंदिर, न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला–नवादा।	प्रकाशन–10.10.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3075 डाउन, नवादा से मल्लेपुर स्टेशन। भाया–पकरीवर्मा, आढा, अलीगंज, सिकन्दरा एवं महिसौढीचौक। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–06.06.26 फिटनेश–07.01.26 बीमा–29.09.26 प्रदूषण–05.02.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

MEETING HELD ON 05-12-2025

कार्यावली संख्या – 02

(स्थायी परमिट)
आपत्ति प्राप्त एवं अप्राप्त नया आवेदन

क्र. सं.	आवेदन क्रमांक	वाहन सं0 / निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग / दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति की स्थिति (प्राप्त / अप्राप्त)	प्राधिकार का निर्णय
6	1	BR34P-7323 (29.07.2025) श्री धर्मबीर सहनी, पिता–श्री सुधीर सहनी, पता–कोशी कॉलेज, खगड़िया बस स्टैण्ड, बलुआही, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–17.11.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 डाउन खगड़िया से आलमनगर। भाया–महेशखूँट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–28.01.26 फिटनेश–28.07.27 बीमा–06.07.26 प्रदूषण–28.07.26	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्रीमती स्वेता सोनी, वाहन सं0–**BR09PA-9818** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के प्रस्तावित समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता खगड़िया प्र0 11:51 11:51 अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि मेरे वाहन के प्रस्तावित समय–सारणी से उपरोक्त बिन्दु पर टकराव है, जिसपर उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय, जिसके लिए मैं श्रीमान् का सदा अभारी बनी रहूँगी। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री राजेश कुमार मिश्रा, वाहन सं0–**BR34P-6702** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता डुमरी पुल प्र0 16:15 16:15 अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि मेरे वाहन के प्रस्तावित समय–सारणी से उपरोक्त बिन्दु पर टकराव है, जिसपर उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय, जिसके लिए मैं श्रीमान् का सदा अभारी बना रहूँगा। आवेदनकर्त्ता, प्रथम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग खगड़िया से आलमनगर है तथा द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का MPPY के तहत् अधिसूचित मार्ग बेलदौर से खगड़िया है।	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता द्वारा आवेदित समय–सारणी से आपत्ति की गई है। आवेदनकर्त्ता आवेदन करने के क्रम में आपत्तिकर्त्ता से वरीय हैं। आपत्तिकर्त्ता का आवेदन क्रम सं0–19 पर उपस्थापित है। अतएव आपत्ति मान्य नही है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी के मध्य बिन्दु डुमरी में प्रस्थान समय 16:15 पर टकराव नहीं है। आवेदनकर्त्ता का मध्य बिन्दु उसराहा में प्रस्थान समय 16:15 है तथा आपत्तिकर्त्ता का मध्य बिन्दु डुमरी पुल में प्रस्थान समय 16:15 है जो अलग–अलग है। अतएव यह आपत्ति मान्य योग्य नहीं है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
7	2	BR09PA-8538 (20.09.2023) श्रीमती बुलबुल देवी पति–श्री बिनीत कुमार, पता–पहसारा, नॉवकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–17.11.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3015 अलौली से बेगुसराय, भाया–हरिपुर, आशापोखर, बखरी एवं मंझौल। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–18.12.25 फिटनेश–19.09.27 बीमा–24.01.26 प्रदूषण–16.09.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री दिलीप कुमार, वाहन सं0–**BR06PC-5310** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बखरी प्र0 06:12 06:16 मंझौल प्र0 06:58 07:00 **श्रीमान को अवगत कराना चाहता हूँ की मुंगेर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा मार्ग पर परमिट स्वीकृत करने हेतु वाहनस्वामी एव यात्रियों के हित को देखते हुए समय अन्तराल का निर्णय लिया गया है जिसके तहत मुख्य बिन्दु (starting**	➢ आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी के मध्य बिन्दु बखरी में प्रस्थान समय 06:12 पर तथा मंझौल में प्रस्थान समय 06:58 पर टकराव नहीं है। उक्त दोनों बिन्दुओं पर 02 मिनट का समय अन्तराल है जो प्राधिकार के वर्तमान निर्णय के अनुसार मान्य है। अन्य आपत्ति औचित्यहीन है। अतएव परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

					point) पर 10 मिनट का एवं मध्य बिंदु (middle point) पर 05 मिनट का अन्तराल रखा गया था जिससे सभी वाहन स्वामी के हित में सही था/ पुनः उक्त निर्णय को संशोधित कर सभी बिंदु पर 5 मिनट का अन्तराल रखा गया जो कुछ हद तक सभी वाहन स्वामी के हित में ही था परंतु अभि वर्तमान में पुनः उक्त निर्णय को संशोधित कर मध्य बिंदु पर 2 मिनट का अन्तराल रखने का लिया गया है जो वाहनस्वामी एंव यात्रियों के हित में सही नहीं है जिसे पुनः विचार कर संशोधित किये जाने की आवश्यकता है ताकि वाहन स्वामी के बीच अलाभकारी प्रतियोगिता और सड़क दौड़ का मैदान नहीं बने/ इस सम्बन्ध में एक विस्तृत आवेदन भी इस प्राधिकार के समक्ष दे रहा हूँ जिसे इस आपत्ति के सन्दर्भ में विचार करने की कृपा करे ताकि हम जैसे छोटे वाहन स्वामी के जिविकोपार्जन हेतु वाहन परिचालन हो सके/ श्रीमान के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूँ की श्री सुधीर कुमार एवं उनके द्वारा अन्य सदस्यों के नाम से एक मार्ग बेगुसराय से मंझौल जो चार से ज्यादा मार्गो को आच्छादित करता है यथा बेगुसराय से बखरी, बेगुसराय से अलौली, बेगुसराय से शहरबन्नी, बेगुसराय से रोसड़ा, बेगुसराय से कचहरी रामपुर, बेगुसराय से हसनपुर बिथान इत्यादि, पर करीब 20 परमिट प्राप्त किये है जिसमे बखरी से सुबह 6.10 से 08.40 तक एवं बेगुसराय से सुबह 8.05 से 10.50 तक से परमिट पर समय सारिणी प्राप्त किये है/ इसी उक्त सभी वाहन पर अन्य पालियो में पुनः बखरी से 10.40 से लेकर 13.30 तक एवं बेगुसराय से 13.35 से लेकर 16.15 तक परमिट पर समय प्राप्त किये है परंतु उनके द्वारा सिर्फ 2-3 वाहन का परिचालन ही किया जाता है जिससे उनको एक वाहन से दुसरे वाहन के बीच करीब 25 से 35 मिनट का समय अन्तराल प्राप्त होता है और अन्य वाहन स्वामी को सिर्फ 5 से 7 मिनट का अन्तराल ही उपलब्ध है/ और जब भी कोई वाहन स्वामी इस मार्ग पर कोई परमिट आवेदन दाखिल करते है तो	

MEETING HELD ON 15-12-2025

				इनके द्वारा अन्य वाहन पर परमिट रहते हुए पुनः परमिट आवेदन दाखिल कर जो 4-5 मिनट का समय अन्तराल प्राप्त होता है उसे भी मात्र 5 मिनट और 3 मिनट के अन्तराल से क्षति पहुचाने का काम करते है ताकि इस मार्ग पर कोई भी अन्य वाहन स्वामी की वाहन का परिचालन नहीं हो सके और इस प्रकार इनका उक्त मार्ग पर एकाधिकार स्थापित हो जाए/ चूँकि न्याय रथ के मालिक को अन्य वाहन स्वामी के वाहन परिचालन को पूरी तरह से बंद करवा देना ही मुख्य उद्देश्य है, अतः उनके द्वारा बरौनी से बखरी मार्ग पर 7 परमिट 6 खेप प्रतिदिन जाना एवं आना प्राप्त किये है, इसी प्रकार बेगुसराय से सहरबन्नी पर 6 परमिट 6 खेप प्रतिदिन जाना आना; बेगुसराय से अलौली 3 परमिट प्रतिदिन 6 खेप जाना आना एवं बेगुसराय से सकरपुरा पर 3 परमिट सभी 6 से 8 खेप प्राप्त किये है परंतु उक्त सभी वाहन सिर्फ बेगुसराय से बखरी तक ही परिचालित हो रही है क्योंकि उनके द्वारा प्राधिकार के निर्णय का लाभ उठाकर सभी परमिट प्राप्त किया गया है जिसमे बेगुसराय बिंदु मध्य बिंदु मानकर जबकि दुसरे वाहन स्वामी का मुख्य बिंदु है, पर 5 मिनट आगे का समय प्राप्त कर लिए है/ इस प्रकार मुझे एवं अन्य वाहन स्वामी को जो परमिट बेगुसराय से बखरी मार्ग पर प्राप्त हुआ है वाहन परिचालन बंद करवा दिया गया क्योंकि 5 मिनट अन्तराल पर यात्री नहीं होने से वाहन का परिचालन लागत भी नहीं निकल पाता है जबकि न्याय रथ के मालीक के पास करीब 120 से ज्यादा वाहन है और उक्त 18 परमिट 6 खेप यानि 54 खेप बेगुसराय से और 54 खेप बखरी का समय प्राप्त है जबकि 3-4 वाहन का परिचालन कर 20-30 मिनट के अन्तराल पर वाहन चलाते है/ श्रीमान बेगुसराय से बखरी, अलौली, शहरबन्नी, सकरपुरा, रोसड़ा, बिथान मार्ग जो बहुत ही छोटी दुरी की मार्ग है जिसमे बेगुसराय से मंझौल सभी वाहनों का सामान मार्ग है जिसकी दुरी करीब 16 किलोमीटर है जिसमे उक्त वाहन के अलावे छोटी सवारी वाहन यथा टेम्पू; ई-रिक्सा सवारी को लेकर चले	

MEETING HELD ON 15-12-2025

जाते है और बडी वाहन को सवारी नहीं हो पाती है/

उत्क सभी बातो पर बिचार कर इस प्राधिकार के द्वारा पुनः समय अन्तराल को सभी बिंदु पर 5 मिनट निर्धारित किया गया जिससे पुराने वाहन स्वामी को अधिक आर्थिक क्षति नहीं हो और तदनुसार मैंने एवं अन्य वाहन स्वामी ने अपनी जिविकोपार्जन हेतु कुछ परमिट पिछले बैठक में प्राप्त किया है परंतु न्याय रथ के वाहन स्वामी ने पुनः इस प्राधिकार के मध्य बिंदु पर 2 मिनट अन्तराल के निर्णय के अनुसार सभी वाहनों पर परमिट रहते हुए 7 आबेदन दाखिल कर पूर्व के सभी परिचालन को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है/ और इस प्रकार सड़क को दौड़ का मैदान बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो न तो वाहन स्वामी के हित में है और न ही यात्री के हित में है क्योकि इस प्रकार मार्ग में हमेशा दुर्घटना होने की प्रबल संभाबना बनी रहेगी/

मोटर वाहन अधिनियाँ की धारा 67 में सरकार को परमिट धारको के बीच अलाभकर प्रतियोगिता को रोकने की बांछनियता से सम्बंधित नियम बनाने की शकित दी गयी है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी एक वाहन से दुसरे वाहन के बीच समय अन्तराल पर CWJC No 8371/1997 एबम अन्य याचिकाओं के निष्पादित करते हुए दिनांक 24.07.2000 को निर्णय दिया गया है/ पुनः झारखण्ड परिवहन अपीलीय प्राधिकार के द्वारा भी इस सम्बन्ध में 20.03.2014 को निर्णय दिया गया है जिसमे बड़ी वाहनों के बीच 10 मिनट और छोटी वाहनों के बीच 5 मिनट का अन्तराल रखने का निर्देश दिया गया है/

प्राधिकार को वाहन के परमिट देते समय इन सभी बातो का ख्याल रख कर ही कोई उचित निर्णय पारित करना सभी के लिए हितकर होगा और इस प्रकार किसी एक वाहन स्वामी का किसी एक मार्ग पर एकाधिकार स्थापित

MEETING HELD ON 15-12-2025

					नहीं होगा जिसे कानून भी सही नहीं मानता है/ प्राधिकार अपने क्षेत्र के वाह्न स्वामी के अभिभावक है और उन्हें सभी के हित का ख्याल रखने की नैतिक जिम्मेदारी है/ उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है की सभी बातो पर भली भांति बिचार कर उचित निर्णय लेने की कृपा करे क्योंकि हमलोगों को आपके सिवा किसी से भी न्याय मिलने की गुंजाईश नजर नहीं आ रहा है/ इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा/ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग अलौली से बेगूसराय है।	
8	3	BR09M1041 (11.10.2012) श्रीमती सुनीता देवी पति–श्री सुधीर कुमार पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–17.11.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3154 डाउन बेगुसराय से शकरपुरा। भाया–मंझौल एवं बखरी। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–10.01.26 फिटनेश–15.11.25 बीमा–09.05.26 प्रदूषण–31.08.26	➢ आपतिकर्त्ता श्री नीरज कुमार सिहं, वाहन सं0–**BR06PC-9933** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बखरी प्र0 11:03 11:05 मंझौल प्र0 11:48 11:50 श्रीमान को अवगत कराना चाहता हूँ की मुंगेर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा मार्ग पर परमिट स्वीकृत करने हेतु वाहनस्वामी एव यात्रियों के हित को देखते हुए समय अन्तराल का निर्णय लिया गया है जिसके तहत मुख्य बिन्दु(starting point) पर 10 मिनट का एवं मध्य बिंदु (middle point) पर 05 मिनट का अन्तराल रखा गया था जिससे सभी वाह्न स्वामी के हित में सही था/ पुनः उक्त निर्णय को संशोधित कर सभी बिंदु पर 5 मिनट का अन्तराल रखा गया जो कुछ हद तक सभी वाह्न स्वामी के हित में ही था परंतु अभि वर्तमान में पुनः उक्त निर्णय को संशोधित कर मध्य बिंदु पर 2 मिनट का अन्तराल रखने का लिया गया है जो वाह्नस्वामी एंव यात्रियों के हित में सही नहीं है जिसे पुनः विचार कर संशोधित किये जाने की आवश्यकता है ताकि वाह्न स्वामी के बीच अलाभकारी प्रतियोगिता और सड़क दौड़ का मैदान नहीं बने/ इस सम्बन्ध में एक विस्तृत आवेदन भी इस प्राधिकार के समक्ष दे रहा हूँ जिसे इस आपत्ति के सन्दर्भ में	➢ आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी के मध्य बिन्दु बखरी में प्रस्थान समय 11:03 पर एवं मध्य बिन्दु मंझौल में प्रस्थान समय 11:48 पर टकराव नहीं है। प्राधिकार के वर्त्तमान निर्णयानुसार उक्त दोनों बिन्दुओं पर 02 मिनट का समय अन्तराल है। अन्य आपत्ति औचित्यहीन है। अतएव परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

MEETING HELD ON 15-12-2025

				विचार करने की कृपा करे ताकि हम जैसे छोटे वाहन स्वामी के जिविकोपार्जन हेतु वाहन परिचालन हो सके/ श्रीमान के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूँ की श्री सुधीर कुमार एवं उनके द्वारा अन्य सदस्यों के नाम से एक मार्ग बेगुसराय से मंझौल जो चार से ज्यादा मार्गो को आच्छादित करता है यथा बेगुसराय से बखरी, बेगुसराय से अलौली, बेगुसराय से शहरबन्नी, बेगुसराय से रोसड़ा, बेगुसराय से कचहरी रामपुर, बेगुसराय से हसनपुर बिथान इत्यादि, पर करीब 20 परमिट प्राप्त किये है जिसमे बखरी से सुबह 6.10 से 08.40 तक एवं बेगुसराय से सुबह 8.05 से 10.50 तक से परमिट पर समय सारिणी प्राप्त किये है/ इसी उक्त सभी वाहन पर अन्य पालियो में पुनः बखरी से 10.40 से लेकर 13.30 तक एवं बेगुसराय से 13.35 से लेकर 16.15 तक परमिट पर समय प्राप्त किये है परंतु उनके द्वारा सिर्फ 2-3 वाहन का परिचालन ही किया जाता है जिससे उनको एक वाहन से दुसरे वाहन के बीच करीब 25 से 35 मिनट का समय अन्तराल प्राप्त होता है और अन्य वाहन स्वामी को सिर्फ 5 से 7 मिनट का अन्तराल ही उपलब्ध है/ और जब भी कोई वाहन स्वामी इस मार्ग पर कोई परमिट आवेदन दाखिल करते है तो इनके द्वारा अन्य वाहन पर परमिट रहते हुए पुनः परमिट आवेदन दाखिल कर जो 4-5 मिनट का समय अन्तराल प्राप्त होता है उसे भी मात्र 5 मिनट और 3 मिनट के अन्तराल से क्षति पहुचाने का काम करते है ताकि इस मार्ग पर कोई भी अन्य वाहन स्वामी की वाहन का परिचालन नहीं हो सके और इस प्रकार इनका उक्त मार्ग पर एकाधिकार स्थापित हो जाए/ चूँकि न्याय रथ के मालिक को अन्य वाहन स्वामी के वाहन परिचालन को पूरी तरह से बंद करबा देना ही मुख्य उद्देश्य है, अतः उनके द्वारा बरौनी से बखरी मार्ग पर 7 परमिट 6 खेप प्रतिदिन जाना एवं आना प्राप्त किये है, इसी प्रकार बेगुसराय से सहरबन्नी पर 6 परमिट 6 खेप प्रतिदिन	

MEETING HELD ON 15-12-2025

					जाना आना; बेगुसराय से अलौली 3 परमिट प्रतिदिन 6 खेप जाना आना एवं बेगुसराय से सकरपुरा पर 3 परमिट सभी 6 से 8 खेप प्राप्त किये है परंतु उक्त सभी वाहन सिर्फ बेगुसराय से बखरी तक ही परिचालित हो रही है क्योंकि उनके द्वारा प्राधिकार के निर्णय का लाभ उठाकर सभी परमिट प्राप्त किया गया है जिसमे बेगुसराय बिंदु मध्य बिंदु मानकर जबकि दुसरे वाहन स्वामी का मुख्य बिंदु है, पर 5 मिनट आगे का समय प्राप्त कर लिए है/ इस प्रकार मुझे एवं अन्य वाहन स्वामी को जो परमिट बेगुसराय से बखरी मार्ग पर प्राप्त हुआ है वाहन परिचालन बंद करवा दिया गया क्योंकि 5 मिनट अन्तराल पर यात्री नहीं होने से वाहन का परिचालन लागत भी नहीं निकल पाता है जबकि न्याय रथ के मालीक के पास करीब 120 से ज्यादा वाहन है और उक्त 18 परमिट 6 खेप यानि 54 खेप बेगुसराय से और 54 खेप बखरी का समय प्राप्त है जबकि 3-4 वाहन का परिचालन कर 20-30 मिनट के अन्तराल पर वाहन चलाते है/ श्रीमान बेगुसराय से बख़री, अलौली, शहरबन्नी, सकरपुरा, रोसड़ा, बिथान मार्ग जो बहुत ही छोटी दुरी की मार्ग है जिसमे बेगुसराय से मंझौल सभी वाहनों का सामान मार्ग है जिसकी दुरी करीब 16 किलोमीटर है जिसमे उक्त वाहन के अलावे छोटी सवारी वाहन यथा टेम्पू; ई-रिक्सा सवारी को लेकर चले जाते है और बड़ी वाहन को सवारी नहीं हो पाती है/ उत्क सभी बातो पर बिचार कर इस प्राधिकार के द्वारा पुनः समय अन्तराल को सभी बिंदु पर 5 मिनट निर्धारित किया गया जिससे पुराने वाहन स्वामी को अधिक आर्थिक क्षति नहीं हो और तदनुसार मैंने एवं अन्य वाहन स्वामी ने अपनी जिविकोपार्जन हेतु कुछ परमिट पिछले बैठक में प्राप्त किया है परंतु न्याय रथ के वाहन स्वामी ने पुनः इस प्राधिकार के मध्य बिंदु पर 2 मिनट अन्तराल के निर्णय के अनुसार सभी वाहनों पर परमिट रहते हुए 7 आवेदन दाखिल कर पूर्व के सभी परिचालन को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है/ और इस प्रकार सड़क को	

MEETING HELD ON 15-12-2025

					दौड़ का मैदान बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो न तो वाहन स्वामी के हित में है और न ही यात्री के हित में है क्योकि इस प्रकार मार्ग में हमेशा दुर्घटना होने की प्रबल संभाबना बनी रहेगी/ मोटर वाहन अधिनियाँ की धारा 67 में सरकार को परमिट धारको के बीच अलाभकर प्रतियोगिता को रोकने की बांछनियता से सम्बंधित नियम बनाने की शकित दी गयी है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी एक वाहन से दुसरे वाहन के बीच समय अन्तराल पर CWJC No 8371/1997 एबम अन्य याचिकाओं के निष्पादित करते हुए दिनांक 24.07.2000 को निर्णय दिया गया है/ पुनः झारखण्ड परिवहन अपीलीय प्राधिकार के द्वारा भी इस सम्बन्ध में 20.03.2014 को निर्णय दिया गया है जिसमे बड़ी वाहनों के बीच 10 मिनट और छोटी वाहनों के बीच 5 मिनट का अन्तराल रखने का निर्देश दिया गया है/ प्राधिकार को वाहन के परमिट देते समय इन सभी बातो का ख्याल रख कर ही कोई उचित निर्णय पारित करना सभी के लिए हितकर होगा और इस प्रकार किसी एक वाहन स्वामी का किसी एक मार्ग पर एकाधिकार स्थापित नहीं होगा जिसे कानून भी सही नहीं मानता है/ प्राधिकार अपने क्षेत्र के वाहन स्वामी के अभिभावक है और उन्हें सभी के हित का ख्याल रखने की नैतिक जिम्मेदारी है/ उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है की सभी बातो पर भली भांति बिचार कर उचित निर्णय लेने की कृपा करे क्योंकि हमलोगों को आपके सिवा किसी से भी न्याय मिलने की गुंजाईश नजर नहीं आ रहा है/ इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा/ आवेदनकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से शकरपुरा है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से अलौली है।	

MEETING HELD ON 15-12-2025

9	4	BR09PA8162 (06.04.2023) श्रीमती कुमकुम देवी पति–श्री अजीत कुमार पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–17.11.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3171, बरौनी जंक्शन से बखरी। भाया–बेगूसराय, मंझौल एवं पहसारा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–04.01.26 फिटनेश–05.04.27 बीमा–09.04.26 प्रदूषण–23.05.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री नीरज कुमार सिहं, वाहन सं0–**BR01PF-4872** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 09:33 09:35 श्रीमान को अवगत कराना चाहता हूँ की मुंगेर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा मार्ग पर परमिट स्वीकृत करने हेतु वाहनस्वामी एव यात्रियों के हित को देखते हुए समय अन्तराल का निर्णय लिया गया है जिसके तहत मुख्य बिन्दु(starting point) पर 10 मिनट का एवं मध्य बिंदु (middle point) पर 05 मिनट का अन्तराल रखा गया था जिससे सभी वाहन स्वामी के हित में सही था/ पुनः उक्त निर्णय को संशोधित कर सभी बिंदु पर 5 मिनट का अन्तराल रखा गया जो कुछ हद तक सभी वाहन स्वामी के हित में ही था परंतु अभि वर्तमान में पुनः उक्त निर्णय को संशोधित कर मध्य बिंदु पर 2 मिनट का अन्तराल रखने का लिया गया है जो वाहनस्वामी एंव यात्रियों के हित में सही नहीं है जिसे पुनः विचार कर संशोधित किये जाने की आवश्यकता है ताकि वाहन स्वामी के बीच अलाभकारी प्रतियोगिता और सड़क दौड़ का मैदान नहीं बने/ इस सम्बन्ध में एक विस्तृत आवेदन भी इस प्राधिकार के समक्ष दे रहा हूँ जिसे इस आपत्ति के सन्दर्भ में विचार करने की कृपा करे ताकि हम जैसे छोटे वाहन स्वामी के जिविकोपार्जन हेतु वाहन परिचालन हो सके/ श्रीमान के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूँ की श्री सुधीर कुमार एवं उनके द्वारा अन्य सदस्यों के नाम से एक मार्ग बेगुसराय से मंझौल जो चार से ज्यादा मार्गो को आच्छादित करता है यथा बेगुसराय से बखरी, बेगुसराय से अलौली, बेगुसराय से शहरबन्नी, बेगुसराय से रोसड़ा, बेगुसराय से कचहरी रामपुर, बेगुसराय से हसनपुर बिथान इत्यादि, पर करीब 20 परमिट प्राप्त किये है जिसमे बखरी से सुबह 6.10 से 08.40 तक एवं बेगुसराय से सुबह 8.05 से 10.50 तक से परमिट पर समय सारिणी प्राप्त किये है/ इसी उक्त	➢ आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी के मध्य बिन्दु बेगूसराय में प्रस्थान समय 09:33 पर टकराव नहीं है। अन्य आपत्ति औचित्यहीन है। अतएव परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

MEETING HELD ON 15-12-2025

					सभी वाहन पर अन्य पालियो में पुनः बखरी से 10.40 से लेकर 13.30 तक एवं बेगुसराय से 13.35 से लेकर 16.15 तक परमिट पर समय प्राप्त किये है परंतु उनके द्वारा सिर्फ 2-3 वाहन का परिचालन ही किया जाता है जिससे उनको एक वाहन से दुसरे वाहन के बीच करीब 25 से 35 मिनट का समय अन्तराल प्राप्त होता है और अन्य वाहन स्वामी को सिर्फ 5 से 7 मिनट का अन्तराल ही उपलब्ध है/ और जब भी कोई वाहन स्वामी इस मार्ग पर कोई परमिट आवेदन दाखिल करते है तो इनके द्वारा अन्य वाहन पर परमिट रहते हुए पुनः परमिट आवेदन दाखिल कर जो 4-5 मिनट का समय अन्तराल प्राप्त होता है उसे भी मात्र 5 मिनट और 3 मिनट के अन्तराल से क्षति पहुचाने का काम करते है ताकि इस मार्ग पर कोई भी अन्य वाहन स्वामी की वाहन का परिचालन नहीं हो सके और इस प्रकार इनका उक्त मार्ग पर एकाधिकार स्थापित हो जाए/ चूँकि न्याय रथ के मालिक को अन्य वाहन स्वामी के वाहन परिचालन को पूरी तरह से बंद करबा देना ही मुख्य उद्देश्य है, अतः उनके द्वारा बरौनी से बखरी मार्ग पर 7 परमिट 6 खेप प्रतिदिन जाना एवं आना प्राप्त किये है, इसी प्रकार बेगुसराय से सहरबन्नी पर 6 परमिट 6 खेप प्रतिदिन जाना आना; बेगुसराय से अलौली 3 परमिट प्रतिदिन 6 खेप जाना आना एवं बेगुसराय से सकरपुरा पर 3 परमिट सभी 6 से 8 खेप प्राप्त किये है परंतु उक्त सभी वाहन सिर्फ बेगुसराय से बखरी तक ही परिचालित हो रही है क्योंकि उनके द्वारा प्राधिकार के निर्णय का लाभ उठाकर सभी परमिट प्राप्त किया गया है जिसमे बेगुसराय बिंदु मध्य बिंदु मानकर जबकि दुसरे वाहन स्वामी का मुख्य बिंदु है, पर 5 मिनट आगे का समय प्राप्त कर लिए है/ इस प्रकार मुझे एवं अन्य वाहन स्वामी को जो परमिट बेगुसराय से बखरी मार्ग पर प्राप्त हुआ है वाहन परिचालन बंद करवा दिया गया क्योंकि 5 मिनट अन्तराल पर यात्री नहीं होने से वाहन का परिचालन लागत भी नहीं निकल पाता है जबकि न्याय रथ के मालीक के पास करीब	

MEETING HELD ON 15-12-2025

				120 से ज्यादा वाहन है और उक्त 18 परमिट 6 खेप यानि 54 खेप बेगुसराय से और 54 खेप बखरी का समय प्राप्त है जबकि 3-4 वाहन का परिचालन कर 20-30 मिनट के अन्तराल पर वाहन चलाते है/ श्रीमान बेगुसराय से बखरी, अलौली, शहरबन्नी, सकरपुरा, रोसड़ा, बिथान मार्ग जो बहुत ही छोटी दुरी की मार्ग है जिसमे बेगुसराय से मंझौल सभी वाहनों का सामान मार्ग है जिसकी दुरी करीब 16 किलोमीटर है जिसमे उक्त वाहन के अलावे छोटी सवारी वाहन यथा टेम्पू; ई-रिक्सा सवारी को लेकर चले जाते है और बड़ी वाहन को सवारी नहीं हो पाती है/ उत्क सभी बातो पर बिचार कर इस प्राधिकार के द्वारा पुनः समय अन्तराल को सभी बिंदु पर 5 मिनट निर्धारित किया गया जिससे पुराने वाहन स्वामी को अधिक आर्थिक क्षति नहीं हो और तदनुसार मैंने एवं अन्य वाहन स्वामी ने अपनी जिविकोपार्जन हेतु कुछ परमिट पिछले बैठक में प्राप्त किया है परंतु न्याय रथ के वाहन स्वामी ने पुनः इस प्राधिकार के मध्य बिंदु पर 2 मिनट अन्तराल के निर्णय के अनुसार सभी वाहनों पर परमिट रहते हुए 7 आबेदन दाखिल कर पूर्व के सभी परिचालन को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है/ और इस प्रकार सड़क को दौड़ का मैदान बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो न तो वाहन स्वामी के हित में है और न ही यात्री के हित में है क्योंकि इस प्रकार मार्ग में हमेशा दुर्घटना होने की प्रबल संभाबना बनी रहेगी/ मोटर वाहन अधिनियाँ की धारा 67 में सरकार को परमिट धारको के बीच अलाभकर प्रतियोगिता को रोकने की बांछनियता से सम्बंधित नियम बनाने की शकित दी गयी है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी एक वाहन से दुसरे वाहन के बीच समय अन्तराल पर CWJC No 8371/1997 एबम अन्य याचिकाओं के निष्पादित करते हुए दिनांक 24.07.2000 को निर्णय दिया	

MEETING HELD ON 15-12-2025

					गया है/ पुनः झारखण्ड परिवहन अपीलीय प्राधिकार के द्वारा भी इस सम्बन्ध में 20.03.2014 को निर्णय दिया गया है जिसमे बड़ी वाह्नों के बीच 10 मिनट और छोटी वाह्नों के बीच 5 मिनट का अन्तराल रखने का निर्देश दिया गया है/ प्राधिकार को वाह्न के परमिट देते समय इन सभी बातो का ख्याल रख कर ही कोई उचित निर्णय पारित करना सभी के लिए हितकर होगा और इस प्रकार किसी एक वाह्न स्वामी का किसी एक मार्ग पर एकाधिकार स्थापित नहीं होगा जिसे कानून भी सही नहीं मानता है/ प्राधिकार अपने क्षेत्र के वांह्न स्वामी के अभिभावक है और उन्हें सभी के हित का ख्याल रखने की नैतिक जिम्मेदारी है/ उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है की सभी बातो पर भली भांति बिचार कर उचित निर्णय लेने की कृपा करे क्योंकि हमलोगों को आपके सिवा किसी से भी न्याय मिलने की गुंजाईश नजर नहीं आ रहा है/ इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा/ आवेदनकर्त्ता का मार्ग बरौनी जंक्शन से बखरी है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से शकरपुरा है।	
10	5	BR09PA8164 (06.04.2023) श्रीमती कुमकुम देवी पति–श्री अजीत कुमार पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–17.11.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3001, शहरबन्नी से बेगूसराय। भाया–ज्वालापुर चौक, हरिपुर, आशापोखर, बखरी एवं मंझौल। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–04.01.26 फिटनेश–05.04.27 बीमा–08.04.26 प्रदूषण–10.06.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री नीरज कुमार सिहं, वाहन सं0–**BR43P-1809** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्ता बखरी प्र0 07:12 07:15 बखरी प्र0 18:08 18:10 श्रीमान को अवगत कराना चाहता हूँ की मुंगेर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा मार्ग पर परमिट स्वीकृत करने हेतु वाहनस्वामी एव यात्रियों के हित को देखते हुए समय अन्तराल का निर्णय लिया गया है जिसके तहत मुख्य बिन्दु(**starting point**) पर 10 मिनट का एवं मध्य बिंदु (**middle point**) पर 05 मिनट का अन्तराल रखा गया था जिससे सभी वाहन	➢ आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी के मध्य बिन्दु बखरी में प्रस्थान समय 07:12 पर एवं 18:08 पर टकराव नहीं है। अन्य आपत्ति औचित्यहीन है। अतएव परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

MEETING HELD ON 15-12-2025

				स्वामी के हित में सही था/ पुनः उक्त निर्णय को संशोधित कर सभी बिंदु पर 5 मिनट का अन्तराल रखा गया जो कुछ हद तक सभी वाहन स्वामी के हित में ही था परंतु अभि वर्तमान में पुनः उक्त निर्णय को संशोधित कर मध्य बिंदु पर 2 मिनट का अन्तराल रखने का लिया गया है जो वाहनस्वामी एंव यात्रियों के हित में सही नहीं है जिसे पुनः विचार कर संशोधित किये जाने की आवश्यकता है ताकि वाहन स्वामी के बीच अलाभकारी प्रतियोगिता और सड़क दौड़ का मैदान नहीं बने/ इस सम्बन्ध में एक विस्तृत आवेदन भी इस प्राधिकार के समक्ष दे रहा हूँ जिसे इस आपत्ति के सन्दर्भ में विचार करने की कृपा करे ताकि हम जैसे छोटे वाहन स्वामी के जिविकोपार्जन हेतु वाहन परिचालन हो सके/ श्रीमान के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूँ की श्री सुधीर कुमार एवं उनके द्वारा अन्य सदस्यों के नाम से एक मार्ग बेगुसराय से मंझौल जो चार से ज्यादा मार्गो को आच्छादित करता है यथा बेगुसराय से बखरी, बेगुसराय से अलौली, बेगुसराय से शहरबन्नी, बेगुसराय से रोसड़ा, बेगुसराय से कचहरी रामपुर, बेगुसराय से हसनपुर बिथान इत्यादि, पर करीब 20 परमिट प्राप्त किये है जिसमे बखरी से सुबह 6.10 से 08.40 तक एवं बेगुसराय से सुबह 8.05 से 10.50 तक से परमिट पर समय सारिणी प्राप्त किये है/ इसी उक्त सभी वाहन पर अन्य पालियो में पुनः बखरी से 10.40 से लेकर 13.30 तक एवं बेगुसराय से 13.35 से लेकर 16.15 तक परमिट पर समय प्राप्त किये है परंतु उनके द्वारा सिर्फ 2-3 वाहन का परिचालन ही किया जाता है जिससे उनको एक वाहन से दुसरे वाहन के बीच करीब 25 से 35 मिनट का समय अन्तराल प्राप्त होता है और अन्य वाहन स्वामी को सिर्फ 5 से 7 मिनट का अन्तराल ही उपलब्ध है/ और जब भी कोई वाहन स्वामी इस मार्ग पर कोई परमिट आवेदन दाखिल करते है तो इनके द्वारा अन्य वाहन पर परमिट रहते हुए पुनः परमिट आवेदन दाखिल कर जो 4-5 मिनट का समय अन्तराल प्राप्त	

MEETING HELD ON 15-12-2025

					होता है उसे भी मात्र 5 मिनट और 3 मिनट के अन्तराल से क्षति पहुचाने का काम करते है ताकि इस मार्ग पर कोई भी अन्य वाहन स्वामी की वाहन का परिचालन नहीं हो सके और इस प्रकार इनका उक्त मार्ग पर एकाधिकार स्थापित हो जाए/ चूँकि न्याय रथ के मालिक को अन्य वाहन स्वामी के वाहन परिचालन को पूरी तरह से बंद करवा देना ही मुख्य उद्देश्य है, अतः उनके द्वारा बरौनी से बखरी मार्ग पर 7 परमिट 6 खेप प्रतिदिन जाना एवं आना प्राप्त किये है, इसी प्रकार बेगुसराय से सहरबन्नी पर 6 परमिट 6 खेप प्रतिदिन जाना आना; बेगुसराय से अलौली 3 परमिट प्रतिदिन 6 खेप जाना आना एवं बेगुसराय से सकरपुरा पर 3 परमिट सभी 6 से 8 खेप प्राप्त किये है परंतु उक्त सभी वाहन सिर्फ बेगुसराय से बखरी तक ही परिचालित हो रही है क्योंकि उनके द्वारा प्राधिकार के निर्णय का लाभ उठाकर सभी परमिट प्राप्त किया गया है जिसमे बेगुसराय बिंदु मध्य बिंदु मानकर जबकि दुसरे वाहन स्वामी का मुख्य बिंदु है, पर 5 मिनट आगे का समय प्राप्त कर लिए है/ इस प्रकार मुझे एवं अन्य वाहन स्वामी को जो परमिट बेगुसराय से बखरी मार्ग पर प्राप्त हुआ है वाहन परिचालन बंद करवा दिया गया क्योंकि 5 मिनट अन्तराल पर यात्री नहीं होने से वाहन का परिचालन लागत भी नहीं निकल पाता है जबकि न्याय रथ के मालीक के पास करीब 120 से ज्यादा वाहन है और उक्त 18 परमिट 6 खेप यानि 54 खेप बेगुसराय से और 54 खेप बखरी का समय प्राप्त है जबकि 3-4 वाहन का परिचालन कर 20-30 मिनट के अन्तराल पर वाहन चलाते है/ श्रीमान बेगुसराय से बखरी, अलौली, शहरबन्नी, सकरपुरा, रोसड़ा, बिथान मार्ग जो बहुत ही छोटी दुरी की मार्ग है जिसमे बेगुसराय से मंझौल सभी वाहनों का सामान मार्ग है जिसकी दुरी करीब 16 किलोमीटर है जिसमे उक्त वाहन के अलावे छोटी सवारी वाहन यथा टेम्पू; ई-रिक्सा सवारी को लेकर चले जाते है और बड़ी वाहन को सवारी नहीं हो पाती है/ उत्क सभी बातो पर बिचार	

MEETING HELD ON 15-12-2025

कर इस प्राधिकार के द्वारा पुनः समय अन्तराल को सभी बिंदु पर 5 मिनट निर्धारित किया गया जिससे पुराने वाहन स्वामी को अधिक आर्थिक क्षति नहीं हो और तदनुसार मैंने एवं अन्य वाहन स्वामी ने अपनी जिविकोपार्जन हेतु कुछ परमिट पिछले बैठक में प्राप्त किया है परंतु न्याय रथ के वाहन स्वामी ने पुनः इस प्राधिकार के मध्य बिंदु पर 2 मिनट अन्तराल के निर्णय के अनुसार सभी वाहनों पर परमिट रहते हुए 7 आबेदन दाखिल कर पूर्व के सभी परिचालन को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है/ और इस प्रकार सड़क को दौड़ का मैदान बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो न तो वाहन स्वामी के हित में है और न ही यात्री के हित में है क्योकि इस प्रकार मार्ग में हमेशा दुर्घटना होने की प्रबल संभाबना बनी रहेगी/

मोटर वाहन अधिनियाँ की धारा 67 में सरकार को परमिट धारको के बीच अलाभकर प्रतियोगिता को रोकने की बांछनियता से सम्बंधित नियम बनाने की शकित दी गयी है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी एक वाहन से दुसरे वाहन के बीच समय अन्तराल पर CWJC No 8371/1997 एबम अन्य याचिकाओं के निष्पादित करते हुए दिनांक 24.07.2000 को निर्णय दिया गया है/ पुनः झारखण्ड परिवहन अपीलीय प्राधिकार के द्वारा भी इस सम्बन्ध में 20.03.2014 को निर्णय दिया गया है जिसमे बड़ी वाहनों के बीच 10 मिनट और छोटी वाहनों के बीच 5 मिनट का अन्तराल रखने का निर्देश दिया गया है/

प्राधिकार को वाहन के परमिट देते समय इन सभी बातो का ख्याल रख कर ही कोई उचित निर्णय पारित करना सभी के लिए हितकर होगा और इस प्रकार किसी एक वाहन स्वामी का किसी एक मार्ग पर एकाधिकार स्थापित नहीं होगा जिसे कानून भी सही नहीं मानता है/

प्राधिकार अपने क्षेत्र के वाहन

MEETING HELD ON 15-12-2025

					स्वामी के अभिभावक है और उन्हें सभी के हित का ख्याल रखने की नैतिक जिम्मेदारी है/ उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है की सभी बातो पर भली भांति बिचार कर उचित निर्णय लेने की कृपा करे क्योंकि हमलोगों को आपके सिवा किसी से भी न्याय मिलने की गुंजाईश नजर नहीं आ रहा है/ इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा/ आवेदनकर्त्ता का मार्ग शहरबन्नी से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से बखरी है।	
11	6	BR09M5982 (07.10.2013) श्री बिनीत कुमार पिता—रामनंदन सिंह, पता—पहसारा, नॉवकोठी, जिला—बेगूसराय।	प्रकाशन—17.11.25 अधिसूचित मार्ग संख्या—3171, बरौनी जंक्शन से बखरी। भाया—बेगूसराय, मंझौल एवं पहसारा। ट्रिप—04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स—06.01.26 फिटनेश—11.12.25 बीमा—12.11.26 प्रदूषण—31.08.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री नीरज कुमार सिंह, वाहन सं0—**BR10PA-5579** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय—सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय—सारणी के बीच निम्न टकराव है :— आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 15:40 15:42 बेगूसराय प्र0 20:03 20:05 श्रीमान को अवगत कराना चाहता हूँ की मुंगेर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा मार्ग पर परमिट स्वीकृत करने हेतु वाहनस्वामी एव यात्रियों के हित को देखते हुए समय अन्तराल का निर्णय लिया गया है जिसके तहत मुख्य बिन्दु(starting point) पर 10 मिनट का एवं मध्य बिंदु (middle point) पर 05 मिनट का अन्तराल रखा गया था जिससे सभी वाहन स्वामी के हित में सही था/ पुनः उक्त निर्णय को संशोधित कर सभी बिंदु पर 5 मिनट का अन्तराल रखा गया जो कुछ हद तक सभी वाहन स्वामी के हित में ही था परंतु अभि वर्तमान में पुनः उक्त निर्णय को संशोधित कर मध्य बिंदु पर 2 मिनट का अन्तराल रखने का लिया गया है जो वाहनस्वामी एंव यात्रियों के हित में सही नहीं है जिसे पुनः विचार कर संशोधित किये जाने की आवश्यकता है ताकि वाहन स्वामी के बीच अलाभकारी प्रतियोगिता और सड़क दौड़ का मैदान नहीं बने/ इस सम्बन्ध में एक विस्तृत आवेदन भी इस प्राधिकार के समक्ष दे रहा हूँ जिसे इस आपत्ति के सन्दर्भ में विचार करने की कृपा करे ताकि हम जैसे छोटे वाहन स्वामी के जिविकोपार्जन हेतु	➢ आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय—सारणी से आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय—सारणी के मध्य बिन्दु बेगूसराय में प्रस्थान समय 15:40 पर एवं 20:03 पर टकराव नहीं है। प्राधिकार के वर्त्तमान निर्णयानुसार उक्त दोनों बिन्दुओं पर 02 मिनट का समय अन्तराल मान्य है। अन्य आपत्ति औचित्यहीन है। अतएव परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

					वाहन परिचालन हो सके/ श्रीमान के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूँ की श्री सुधीर कुमार एवं उनके द्वारा अन्य सदस्यों के नाम से एक मार्ग बेगुसराय से मंझौल जो चार से ज्यादा मार्गो को आच्छादित करता है यथा बेगुसराय से बखरी, बेगुसराय से अलौली, बेगुसराय से शहरबन्नी, बेगुसराय से रोसड़ा, बेगुसराय से कचहरी रामपुर, बेगुसराय से हसनपुर बिथान इत्यादि, पर करीब 20 परमिट प्राप्त किये है जिसमे बखरी से सुबह 6.10 से 08.40 तक एवं बेगुसराय से सुबह 8.05 से 10.50 तक से परमिट पर समय सारिणी प्राप्त किये है/ इसी उक्त सभी वाहन पर अन्य पालियो में पुनः बखरी से 10.40 से लेकर 13.30 तक एवं बेगुसराय से 13.35 से लेकर 16.15 तक परमिट पर समय प्राप्त किये है परंतु उनके द्वारा सिर्फ 2-3 वाहन का परिचालन ही किया जाता है जिससे उनको एक वाहन से दुसरे वाहन के बीच करीब 25 से 35 मिनट का समय अन्तराल प्राप्त होता है और अन्य वाहन स्वामी को सिर्फ 5 से 7 मिनट का अन्तराल ही उपलब्ध है/ और जब भी कोई वाहन स्वामी इस मार्ग पर कोई परमिट आवेदन दाखिल करते है तो इनके द्वारा अन्य वाहन पर परमिट रहते हुए पुनः परमिट आवेदन दाखिल कर जो 4-5 मिनट का समय अन्तराल प्राप्त होता है उसे भी मात्र 5 मिनट और 3 मिनट के अन्तराल से क्षति पहुचाने का काम करते है ताकि इस मार्ग पर कोई भी अन्य वाहन स्वामी की वाहन का परिचालन नहीं हो सके और इस प्रकार इनका उक्त मार्ग पर एकाधिकार स्थापित हो जाए/ चूँकि न्याय रथ के मालिक को अन्य वाहन स्वामी के वाहन परिचालन को पूरी तरह से बंद करवा देना ही मुख्य उद्देश्य है, अतः उनके द्वारा बरौनी से बखरी मार्ग पर 7 परमिट 6 खेप प्रतिदिन जाना एवं आना प्राप्त किये है, इसी प्रकार बेगुसराय से सहरबन्नी पर 6 परमिट 6 खेप प्रतिदिन जाना आना; बेगुसराय से अलौली 3 परमिट प्रतिदिन 6 खेप जाना आना एवं बेगुसराय से	

MEETING HELD ON 15-12-2025

					सकरपुरा पर 3 परमिट सभी 6 से 8 खेप प्राप्त किये है परंतु उक्त सभी वाहन सिर्फ बेगुसराय से बखरी तक ही परिचालित हो रही है क्योंकि उनके द्वारा प्राधिकार के निर्णय का लाभ उठाकर सभी परमिट प्राप्त किया गया है जिसमे बेगुसराय बिंदु मध्य बिंदु मानकर जबकि दुसरे वाहन स्वामी का मुख्य बिंदु है, पर 5 मिनट आगे का समय प्राप्त कर लिए है/ इस प्रकार मुझे एवं अन्य वाहन स्वामी को जो परमिट बेगुसराय से बखरी मार्ग पर प्राप्त हुआ है वाहन परिचालन बंद करवा दिया गया क्योंकि 5 मिनट अन्तराल पर यात्री नहीं होने से वाहन का परिचालन लागत भी नहीं निकल पाता है जबकि न्याय रथ के मालीक के पास करीब 120 से ज्यादा वाहन है और उक्त 18 परमिट 6 खेप यानि 54 खेप बेगुसराय से और 54 खेप बखरी का समय प्राप्त है जबकि 3-4 वाहन का परिचालन कर 20-30 मिनट के अन्तराल पर वाहन चलाते है/ श्रीमान बेगुसराय से बखरी, अलौली, शहरबन्नी, सकरपुरा, रोसड़ा, बिथान मार्ग जो बहुत ही छोटी दुरी की मार्ग है जिसमे बेगुसराय से मंझौल सभी वाहनों का सामान मार्ग है जिसकी दुरी करीब 16 किलोमीटर है जिसमे उक्त वाहन के अलावे छोटी सवारी वाहन यथा टेम्पू; ई-रिक्सा सवारी को लेकर चले जाते है और बड़ी वाहन को सवारी नहीं हो पाती है/ उत्क सभी बातो पर बिचार कर इस प्राधिकार के द्वारा पुनः समय अन्तराल को सभी बिंदु पर 5 मिनट निर्धारित किया गया जिससे पुराने वाहन स्वामी को अधिक आर्थिक क्षति नहीं हो और तदनुसार मैंने एवं अन्य वाहन स्वामी ने अपनी जिविकोपार्जन हेतु कुछ परमिट पिछले बैठक में प्राप्त किया है परंतु न्याय रथ के वाहन स्वामी ने पुनः इस प्राधिकार के मध्य बिंदु पर 2 मिनट अन्तराल के निर्णय के अनुसार सभी वाहनों पर परमिट रहते हुए 7 आबेदन दाखिल कर पूर्व के सभी परिचालन को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है/ और इस प्रकार सड़क को दौड़ का मैदान बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो न तो वाहन स्वामी	

MEETING HELD ON 15-12-2025

के हित में है और न ही यात्री के हित में है क्योकि इस प्रकार मार्ग में हमेशा दुर्घटना होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी/

मोटर वाहन अधिनियाँ की धारा 67 में सरकार को परमिट धारको के बीच अलाभकर प्रतियोगिता को रोकने की बांछनियता से सम्बंधित नियम बनाने की शकित दी गयी है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी एक वाहन से दुसरे वाहन के बीच समय अन्तराल पर CWJC No 8371/1997 एबम अन्य याचिकाओं के निष्पादित करते हुए दिनांक 24.07.2000 को निर्णय दिया गया है/ पुनः झारखण्ड परिवहन अपीलीय प्राधिकार के द्वारा भी इस सम्बन्ध में 20.03.2014 को निर्णय दिया गया है जिसमे बड़ी वाहनों के बीच 10 मिनट और छोटी वाहनों के बीच 5 मिनट का अन्तराल रखने का निर्देश दिया गया है/

प्राधिकार को वाहन के परमिट देते समय इन सभी बातो का ख्याल रख कर ही कोई उचित निर्णय पारित करना सभी के लिए हितकर होगा और इस प्रकार किसी एक वाहन स्वामी का किसी एक मार्ग पर एकाधिकार स्थापित नहीं होगा जिसे कानून भी सही नहीं मानता है/

प्राधिकार अपने क्षेत्र के वाहन स्वामी के अभिभावक है और उन्हें सभी के हित का ख्याल रखने की नैतिक जिम्मेदारी है/

उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है की सभी बातो पर भली भांति बिचार कर उचित निर्णय लेने की कृपा करे क्योंकि हमलोगों को आपके सिवा किसी से भी न्याय मिलने की गुंजाईश नजर नहीं आ रहा है/

इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा/

आवेदनकर्त्ता का मार्ग बरौनी जंक्शन से बखरी है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से शकरपुरा है।

MEETING HELD ON 15-12-2025

12	7	BR09PA8537 (20.09.2023) श्रीमती कुमकुम देवी पति–श्री अजीत कुमार पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–17.11.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3154 डाउन, बेगुसराय से शकरपुरा। भाया–मंझौल एवं बखरी। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–18.12.25 फिटनेश–02.03.27 बीमा–26.12.25 प्रदूषण–16.09.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री नीरज कुमार सिहं, वाहन सं0–**BR09PA-9700** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बखरी प्र0 08:01 08:04 मंझौल प्र0 08:42 08:45 मंझौल प्र0 20:00 20:00 श्रीमान को अवगत कराना चाहता हूँ की मुंगेर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा मार्ग पर परमिट स्वीकृत करने हेतु वाहनस्वामी एव यात्रियों के हित को देखते हुए समय अन्तराल का निर्णय लिया गया है जिसके तहत मुख्य बिन्दु(starting point) पर 10 मिनट का एवं मध्य बिंदु (middle point) पर 05 मिनट का अन्तराल रखा गया था जिससे सभी वाहन स्वामी के हित में सही था/ पुनः उक्त निर्णय को संशोधित कर सभी बिंदु पर 5 मिनट का अन्तराल रखा गया जो कुछ हद तक सभी वाहन स्वामी के हित में ही था परंतु अभि वर्तमान में पुनः उक्त निर्णय को संशोधित कर मध्य बिंदु पर 2 मिनट का अन्तराल रखने का लिया गया है जो वाहनस्वामी एंव यात्रियों के हित में सही नहीं है जिसे पुनः विचार कर संशोधित किये जाने की आवश्यकता है ताकि वाहन स्वामी के बीच अलाभकारी प्रतियोगिता और सड़क दौड़ का मैदान नहीं बने/ इस सम्बन्ध में एक विस्तृत आवेदन भी इस प्राधिकार के समक्ष दे रहा हूँ जिसे इस आपत्ति के सन्दर्भ में विचार करने की कृपा करे ताकि हम जैसे छोटे वाहन स्वामी के जिविकोपार्जन हेतु वाहन परिचालन हो सके/ श्रीमान के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूँ की श्री सुधीर कुमार एबं उनके द्वारा अन्य सदस्यों के नाम से एक मार्ग बेगुसराय से मंझौल जो चार से ज्यादा मार्गो को आच्छादित करता है यथा बेगुसराय से बखरी, बेगुसराय से अलौली, बेगुसराय से शहरबन्नी, बेगुसराय से रोसड़ा, बेगुसराय से कचहरी रामपुर, बेगुसराय से हसनपुर बिथान इत्यादि, पर करीब 20 परमिट प्राप्त किये है जिसमे बखरी से सुबह 6.10 से 08.40 तक एवं बेगुसराय से सुबह 8.05 से 10.50 तक से परमिट पर	➢ आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी के मध्य बिन्दु बखरी में प्रस्थान समय 08:01 पर, मध्य बिन्दु मंझौल में प्रस्थान समय 08:42 पर टकराव नहीं है। प्राधिकार के वर्त्तमान निर्णयानुसार उक्त दोनों बिन्दु पर 02 मिनट का समय अन्तराल मान्य है। मंझौल में प्रस्थान समय 20:00 पर टकराव है। आवेदनकर्त्ता के तरफ से श्री सुधीर कुमार द्वारा एक आवेदन समर्पित कर संशोधित समय सारणी समर्पित की गई है, जिसमें मंझौल में प्रस्थान समय 20:00 के स्थान पर 20:02 संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त आलोक में आवेदनकर्त्ता द्वारा शपथ पत्र समर्पित करने के उपरान्त मंझौल में प्रस्थान समय 20:00 के स्थान पर 20:02 पर सशर्त स्वीकृति दी जाती है कि यदि कार्यवाही प्रकाशन के उपरांत एक सप्ताह के अन्दर उक्त संशोधित बिन्दु पर किसी वाहन से टकराव एवं गतिसीमा संबंधी आपत्ति प्राप्त होती है और टकराव या गतिसीमा का उल्लंघन अथवा दोनों पाया जाता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निर्धारित समयावधि में आपत्ति अप्राप्त रहने पर परमिट निर्गत किया जायेगा। यदि आवेदनकर्त्ता इस आशय का शपथ पत्र समर्पित नहीं करते हैं तो आवेदन अस्वीकृत किया जायेगा

					समय सारिणी प्राप्त किये है/ इसी उक्त सभी वाहन पर अन्य पालियो में पुनः बखरी से 10.40 से लेकर 13.30 तक एवं बेगुसराय से 13.35 से लेकर 16.15 तक परमिट पर समय प्राप्त किये है परंतु उनके द्वारा सिर्फ 2-3 वाहन का परिचालन ही किया जाता है जिससे उनको एक वाहन से दुसरे वाहन के बीच करीब 25 से 35 मिनट का समय अन्तराल प्राप्त होता है और अन्य वाहन स्वामी को सिर्फ 5 से 7 मिनट का अन्तराल ही उपलब्ध है/ और जब भी कोई वाहन स्वामी इस मार्ग पर कोई परमिट आवेदन दाखिल करते है तो इनके द्वारा अन्य वाहन पर परमिट रहते हुए पुनः परमिट आवेदन दाखिल कर जो 4-5 मिनट का समय अन्तराल प्राप्त होता है उसे भी मात्र 5 मिनट और 3 मिनट के अन्तराल से क्षति पहुचाने का काम करते है ताकि इस मार्ग पर कोई भी अन्य वाहन स्वामी की वाहन का परिचालन नहीं हो सके और इस प्रकार इनका उक्त मार्ग पर एकाधिकार स्थापित हो जाए/ चूँकि न्याय रथ के मालिक को अन्य वाहन स्वामी के वाहन परिचालन को पूरी तरह से बंद करवा देना ही मुख्य उद्देश्य है, अतः उनके द्वारा बरौनी से बखरी मार्ग पर 7 परमिट 6 खेप प्रतिदिन जाना एवं आना प्राप्त किये है, इसी प्रकार बेगुसराय से सहरबन्नी पर 6 परमिट 6 खेप प्रतिदिन जाना आना; बेगुसराय से अलौली 3 परमिट प्रतिदिन 6 खेप जाना आना एवं बेगुसराय से सकरपुरा पर 3 परमिट सभी 6 से 8 खेप प्राप्त किये है परंतु उक्त सभी वाहन सिर्फ बेगुसराय से बखरी तक ही परिचालित हो रही है क्योंकि उनके द्वारा प्राधिकार के निर्णय का लाभ उठाकर सभी परमिट प्राप्त किया गया है जिसमे बेगुसराय बिंदु मध्य बिंदु मानकर जबकि दुसरे वाहन स्वामी का मुख्य बिंदु है, पर 5 मिनट आगे का समय प्राप्त कर लिए है/ इस प्रकार मुझे एवं अन्य वाहन स्वामी को जो परमिट बेगुसराय से बखरी मार्ग पर प्राप्त हुआ है वाहन परिचालन बंद करवा दिया गया क्योंकि 5 मिनट अन्तराल पर यात्री नहीं होने से वाहन का परिचालन लागत भी नहीं निकल पाता है	

MEETING HELD ON 15-12-2025

				जबकि न्याय रथ के मालीक के पास करीब 120 से ज्यादा वाह्न है और उक्त 18 परमिट 6 खेप यानि 54 खेप बेगुसराय से और 54 खेप बखरी का समय प्राप्त है जबकि 3-4 वाह्न का परिचालन कर 20-30 मिनट के अन्तराल पर वाह्न चलाते है/ श्रीमान बेगुसराय से बखरी, अलौली, शहरबन्नी, सकरपुरा, रोसड़ा, बिथान मार्ग जो बहुत ही छोटी दुरी की मार्ग है जिसमे बेगुसराय से मंझौल सभी वाह्नों का सामान मार्ग है जिसकी दुरी करीब 16 किलोमीटर है जिसमे उक्त वाह्न के अलावे छोटी सवारी वाह्न यथा टेम्पू; ई-रिक्सा सवारी को लेकर चले जाते है और बडी वाह्न को सवारी नहीं हो पाती है/ उत्क सभी बातो पर बिचार कर इस प्राधिकार के द्वारा पुनः समय अन्तराल को सभी बिंदु पर 5 मिनट निर्धारित किया गया जिससे पुराने वाह्न स्वामी को अधिक आर्थिक क्षति नहीं हो और तदनुसार मैंने एवं अन्य वाह्न स्वामी ने अपनी जिविकोपार्जन हेतु कुछ परमिट पिछले बैठक में प्राप्त किया है परंतु न्याय रथ के वाह्न स्वामी ने पुनः इस प्राधिकार के मध्य बिंदु पर 2 मिनट अन्तराल के निर्णय के अनुसार सभी वाह्नों पर परमिट रहते हुए 7 आबेदन दाखिल कर पूर्व के सभी परिचालन को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है/ और इस प्रकार सड़क को दौड़ का मैदान बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो न तो वाह्न स्वामी के हित में है और न ही यात्री के हित में है क्योकि इस प्रकार मार्ग में हमेशा दुर्घटना होने की प्रबल संभाबना बनी रहेगी/ मोटर वाह्न अधिनियाँ की धारा 67 में सरकार को परमिट धारको के बीच अलाभकर प्रतियोगिता को रोकने की बांछनियता से सम्बंधित नियम बनाने की शकित दी गयी है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी एक वाह्न से दुसरे वाह्न के बीच समय अन्तराल पर CWJC No 8371/1997 एबम अन्य याचिकाओं के निष्पादित करते हुए	

MEETING HELD ON 15-12-2025

					दिनांक 24.07.2000 को निर्णय दिया गया है/ पुनः झारखण्ड परिवहन अपीलीय प्राधिकार के द्वारा भी इस सम्बन्ध में 20.03.2014 को निर्णय दिया गया है जिसमे बड़ी वाहनों के बीच 10 मिनट और छोटी वाहनों के बीच 5 मिनट का अन्तराल रखने का निर्देश दिया गया है/ प्राधिकार को वाहन के परमिट देते समय इन सभी बातो का ख्याल रख कर ही कोई उचित निर्णय पारित करना सभी के लिए हितकर होगा और इस प्रकार किसी एक वाहन स्वामी का किसी एक मार्ग पर एकाधिकार स्थापित नहीं होगा जिसे कानून भी सही नहीं मानता है/ प्राधिकार अपने क्षेत्र के वाहन स्वामी के अभिभावक है और उन्हें सभी के हित का ख्याल रखने की नैतिक जिम्मेदारी है/ उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है की सभी बातो पर भली भांति बिचार कर उचित निर्णय लेने की कृपा करे क्योंकि हमलोगों को आपके सिवा किसी से भी न्याय मिलने की गुंजाईश नजर नहीं आ रहा है/ इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा/ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से शकरपुरा है।	
13	8	BR09PA6243 (09.02.2021) श्री कैलाश राय, पिता–श्री कारी राय, पता–रजौरा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–17.11.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3107, हसनपुर से बेगुसराय। भाया–गढपुरा एवं मंझौल। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–04.02.26 फिटनेश–17.07.27 बीमा–28.01.26 प्रदूषण–09.02.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
14	9	BR09PA7051 (06.03.2019) श्रीमती पुष्पलता देवी, पति–श्री संजीव कुमार, पता–रजौरा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–17.11.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3107, हसनपुर से बेगुसराय। भाया–गढपुरा एवं मंझौल। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–10.12.25 फिटनेश–05.03.27 बीमा–04.12.25 प्रदूषण–12.08.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री ब्रजेश कुमार, वाहन सं0–**BR09PB-0207** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता मंझौल प्र0 15:12 15:15 गढपुरा प्र0 15:50 15:50 अतः प्रार्थना है कि समय–सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने	➢ आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी के मध्य बिन्दु मंझौल में प्रस्थान समय 15:12 पर टकराव नहीं है। प्राधिकार के वर्त्तमान निर्णयानुसार उक्त दोनों बिन्दु पर 02 मिनट का समय अन्तराल मान्य है। मध्य बिन्दु गढ़पुरा में प्रस्थान समय 15:50 पर टकराव है। आवेदनकर्त्ता श्रीमती पुष्पलता देवी द्वारा एक आवेदन

MEETING HELD ON 15-12-2025

					की कृपा की जाय। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग हसनपुर से बेगूसराय है।	समर्पित कर संशोधित समय सारणी समर्पित की गई है, जिसमें गढ़पुरा में प्रस्थान समय 15:50 के स्थान पर 15:47 संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त आलोक में आवेदनकर्त्ता द्वारा शपथ पत्र समर्पित करने के उपरान्त गढ़पुरा में प्रस्थान समय 15:50 के स्थान पर 15:47 पर सशर्त्त स्वीकृति दी जाती है कि यदि कार्यवाही प्रकाशन के उपरांत एक सप्ताह के अन्दर उक्त संशोधित बिन्दु पर किसी वाहन से टकराव एवं गतिसीमा संबंधी आपत्ति प्राप्त होती है और टकराव या गतिसीमा का उल्लंघन अथवा दोनों पाया जाता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निर्धारित समयावधि में आपत्ति अप्राप्त रहने पर परमिट निर्गत किया जायेगा। यदि आवेदनकर्त्ता इस आशय का शपथ पत्र समर्पित नहीं करते हैं तो आवेदन अस्वीकृत किया जायेगा
15	10	BR09PA8526 (19.09.2023) श्री बिनीत कुमार पिता–रामनंदन सिंह, पता–पहसारा, नौवकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–17.11.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3015 अलौली से बेगुसराय, भाया–हरिपुर, आशापोखर, बखरी एव मंझौल। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–18.12.25 फिटनेश–19.09.27 बीमा–25.09.26 प्रदूषण–16.09.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री नीरज कुमार सिहं, वाहन सं0–**BR50P-1665** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बखरी प्र0 12:03 12:05 मंझौल प्र0 12:42 12:42 श्रीमान को अवगत कराना चाहता हूँ की मुंगेर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा मार्ग पर परमिट स्वीकृत करने हेतु वाहनस्वामी एव यात्रियों के हित को देखते हुए समय अन्तराल का निर्णय लिया गया है जिसके तहत मुख्य बिन्दु(starting point) पर 10 मिनट का एवं मध्य बिंदु (middle point) पर 05 मिनट का अन्तराल रखा गया था जिससे सभी वाहन स्वामी के हित में सही था/ पुनः उक्त निर्णय को संशोधित कर सभी बिंदु पर 5 मिनट का अन्तराल रखा गया जो कुछ हद तक सभी वाहन स्वामी के हित में ही था परंतु अभि वर्तमान में पुनः उक्त निर्णय को संशोधित कर मध्य बिंदु पर 2 मिनट का अन्तराल रखने का लिया गया है जो वाहनस्वामी एंव यात्रियों के हित में सही नहीं है जिसे पुनः विचार कर संशोधित किये जाने की	➢ आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी के मध्य बिन्दु बखरी में प्रस्थान समय 12:03 पर एवं मध्य बिन्दु मंझौल में 12:42 पर टकराव नहीं है। क्योंकि आपत्तिकर्त्ता क मंझौल में प्रस्थान समय 12:45 है। प्राधिकार के वर्त्तमान निर्णयानुसार मध्य बिन्दु बखरी में 02 मिनट तथा मंझौल में 03 मिनट का समय अन्तराल मान्य है। अन्य आपत्तियाँ औचित्यहीन है। अतएव आवेदनकर्त्ता के परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

MEETING HELD ON 15-12-2025

					आवश्यकता है ताकि वाहन स्वामी के बीच अलाभकारी प्रतियोगिता और सड़क दौड़ का मैदान नहीं बने/ इस सम्बन्ध में एक विस्तृत आवेदन भी इस प्राधिकार के समक्ष दे रहा हूँ जिसे इस आपत्ति के सन्दर्भ में विचार करने की कृपा करे ताकि हम जैसे छोटे वाहन स्वामी के जिविकोपार्जन हेतु वाहन परिचालन हो सके/ श्रीमान के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूँ की श्री सुधीर कुमार एवं उनके द्वारा अन्य सदस्यों के नाम से एक मार्ग बेगुसराय से मंझौल जो चार से ज्यादा मार्गो को आच्छादित करता है यथा बेगुसराय से बखरी, बेगुसराय से अलौली, बेगुसराय से शहरबन्नी, बेगुसराय से रोसड़ा, बेगुसराय से कचहरी रामपुर, बेगुसराय से हसनपुर बिथान इत्यादि, पर करीब 20 परमिट प्राप्त किये है जिसमे बखरी से सुबह 6.10 से 08.40 तक एवं बेगुसराय से सुबह 8.05 से 10.50 तक से परमिट पर समय सारिणी प्राप्त किये है/ इसी उक्त सभी वाहन पर अन्य पालियो में पुनः बखरी से 10.40 से लेकर 13.30 तक एवं बेगुसराय से 13.35 से लेकर 16.15 तक परमिट पर समय प्राप्त किये है परंतु उनके द्वारा सिर्फ 2-3 वाहन का परिचालन ही किया जाता है जिससे उनको एक वाहन से दुसरे वाहन के बीच करीब 25 से 35 मिनट का समय अन्तराल प्राप्त होता है और अन्य वाहन स्वामी को सिर्फ 5 से 7 मिनट का अन्तराल ही उपलब्ध है/ और जब भी कोई वाहन स्वामी इस मार्ग पर कोई परमिट आवेदन दाखिल करते है तो इनके द्वारा अन्य वाहन पर परमिट रहते हुए पुनः परमिट आवेदन दाखिल कर जो 4-5 मिनट का समय अन्तराल प्राप्त होता है उसे भी मात्र 5 मिनट और 3 मिनट के अन्तराल से क्षति पहुचाने का काम करते है ताकि इस मार्ग पर कोई भी अन्य वाहन स्वामी की वाहन का परिचालन नहीं हो सके और इस प्रकार इनका उक्त मार्ग पर एकाधिकार स्थापित हो जाए/ चूँकि न्याय रथ के मालिक को अन्य वाहन स्वामी के वाहन परिचालन को	

MEETING HELD ON 15-12-2025

					पूरी तरह से बंद करवा देना ही मुख्य उद्देश्य है, अतः उनके द्वारा बरौनी से बखरी मार्ग पर 7 परमिट 6 खेप प्रतिदिन जाना एवं आना प्राप्त किये है, इसी प्रकार बेगुसराय से सहरबन्नी पर 6 परमिट 6 खेप प्रतिदिन जाना आना; बेगुसराय से अलौली 3 परमिट प्रतिदिन 6 खेप जाना आना एवं बेगुसराय से सकरपुरा पर 3 परमिट सभी 6 से 8 खेप प्राप्त किये है परंतु उक्त सभी वाहन सिर्फ बेगुसराय से बखरी तक ही परिचालित हो रही है क्योंकि उनके द्वारा प्राधिकार के निर्णय का लाभ उठाकर सभी परमिट प्राप्त किया गया है जिसमे बेगुसराय बिंदु मध्य बिंदु मानकर जबकि दुसरे वाहन स्वामी का मुख्य बिंदु है, पर 5 मिनट आगे का समय प्राप्त कर लिए है/ इस प्रकार मुझे एवं अन्य वाहन स्वामी को जो परमिट बेगुसराय से बखरी मार्ग पर प्राप्त हुआ है वाहन परिचालन बंद करवा दिया गया क्योंकि 5 मिनट अन्तराल पर यात्री नहीं होने से वाहन का परिचालन लागत भी नहीं निकल पाता है जबकि न्याय रथ के मालीक के पास करीब 120 से ज्यादा वाहन है और उक्त 18 परमिट 6 खेप यानि 54 खेप बेगुसराय से और 54 खेप बखरी का समय प्राप्त है जबकि 3-4 वाहन का परिचालन कर 20-30 मिनट के अन्तराल पर वाहन चलाते है/ श्रीमान बेगुसराय से बखरी, अलौली, शहरबन्नी, सकरपुरा, रोसड़ा, बिथान मार्ग जो बहुत ही छोटी दुरी की मार्ग है जिसमे बेगुसराय से मंझौल सभी वाहनों का सामान मार्ग है जिसकी दुरी करीब 16 किलोमीटर है जिसमे उक्त वाहन के अलावे छोटी सवारी वाहन यथा टेम्पू; ई-रिक्सा सवारी को लेकर चले जाते है और बडी वाहन को सवारी नहीं हो पाती है/ उत्क सभी बातो पर बिचार कर इस प्राधिकार के द्वारा पुनः समय अन्तराल को सभी बिंदु पर 5 मिनट निर्धारित किया गया जिससे पुराने वाहन स्वामी को अधिक आर्थिक क्षति नहीं हो और तदनुसार मैंने एवं अन्य वाहन स्वामी ने अपनी जिविकोपार्जन हेतु कुछ परमिट पिछले बैठक में प्राप्त किया है परंतु न्याय रथ के वाहन स्वामी ने पुनः इस प्राधिकार के मध्य बिंदु पर 2	

MEETING HELD ON 15-12-2025

मिनट अन्तराल के निर्णय के अनुसार सभी वाहनों पर परमिट रहते हुए 7 आवेदन दाखिल कर पूर्व के सभी परिचालन को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है/ और इस प्रकार सड़क को दौड़ का मैदान बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो न तो वाहन स्वामी के हित में है और न ही यात्री के हित में है क्योकि इस प्रकार मार्ग में हमेशा दुर्घटना होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी/

मोटर वाहन अधिनियाँ की धारा 67 में सरकार को परमिट धारको के बीच अलाभकर प्रतियोगिता को रोकने की बांछनियता से सम्बंधित निमय बनाने की शकित दी गयी है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी एक वाहन से दुसरे वाहन के बीच समय अन्तराल पर CWJC No 8371/1997 एबम अन्य याचिकाओं के निष्पादित करते हुए दिनांक 24.07.2000 को निर्णय दिया गया है/ पुनः झारखण्ड परिवहन अपीलीय प्राधिकार के द्वारा भी इस सम्बन्ध में 20.03.2014 को निर्णय दिया गया है जिसमे बड़ी वाहनों के बीच 10 मिनट और छोटी वाहनों के बीच 5 मिनट का अन्तराल रखने का निर्देश दिया गया है/

प्राधिकार को वाहन के परमिट देते समय इन सभी बातो का ख्याल रख कर ही कोई उचित निर्णय पारित करना सभी के लिए हितकर होगा और इस प्रकार किसी एक वाहन स्वामी का किसी एक मार्ग पर एकाधिकार स्थापित नहीं होगा जिसे कानून भी सही नहीं मानता है/

प्राधिकार अपने क्षेत्र के वाहन स्वामी के अभिभावक है और उन्हें सभी के हित का ख्याल रखने की नैतिक जिम्मेदारी है/

उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है की सभी बातो पर भली भांति बिचार कर उचित निर्णय लेने की कृपा करे क्योंकि हमलोगों को आपके सिवा किसी से भी न्याय मिलने की गुंजाईश नजर नहीं आ

MEETING HELD ON 15-12-2025

					रहा है/ इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा/ आवेदनकर्त्ता का मार्ग अलौली से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से बखरी है।	
16	11	BR34P6401 (08.02.2023) श्रीमती डेजी कुमारी, पति–कृष्ण मोहन, पता–फुलवरिया, ड्योढी, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–17.11.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 आलमनगर से खगड़िया। भाया–बेलदौर, सोनवर्षाघाट, उसराहा(इसराहा) एवं महेशखूंट। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–20.01.26 फिटनेश–07.02.27 बीमा–30.01.26 प्रदूषण–03.02.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
17	12	BR09PA8518 (06.04.2023) श्रीमती स्वेता सोनी, पति–सर्वेश्वर कु0 चौधरी,, पता–आलमनगर, जिला–मधेपुरा।	प्रकाशन–17.11.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 आलमनगर से खगड़िया। भाया–बेलदौर, सोनवर्षाघाट, उसराहा(इसराहा) एवं महेशखूंट। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–29.12.25 फिटनेश–06.04.27 बीमा–09.10.26 प्रदूषण–20.06.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री धर्मवीर सहनी, वाहन सं0–**BR34P-7120** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता आलमनगर प्र0 04:20 04:20 बेलदौर प्र0 05:10 05:10 महेशखूंट प्र0 06:08 06:09 खगड़िया प्र0 06:41 06:45 महेशखूंट प्र0 07:18 07:20 बेलदौर प्र0 07:53 07:55 आलमनगर प्र0 10:14 10:14 बेलदौर प्र0 11:05 11:05 महेशखूंट प्र0 12:30 12:30 बेलदौर प्र0 15:40 15:40 महेशखूंट प्र0 19:21 19:21 खगड़िया प्र0 20:30 20:30 बेलदौर प्र0 22:28 22:30 आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी में टकराव होने के कारण आर्थिक क्षति होगी एवं आवेदनकर्त्ता का समय–सारणी में त्रुटि पूर्ण है। प्राधिकार के निर्णयानुसार मुख्य बिन्दु पर 05 मिनट एवं मध्य बिन्दु पर 05 मिनट का अन्तराल निर्धारित किया गया है। उपरोक्त वाहन स्वामी का प्राधिकार द्वारा पहले से निर्गत परमिट वाहन सं0–BR09PA-8518 एवं BR09PA-8618, BR09PA-9818 का VLTD जाँच करने की कृपा किया जाय। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि समय–सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्त्ता का मार्ग आलमनगर से खगड़िया है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग खगड़िया से आलमनगर है।	➢ आपत्तिकर्त्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

MEETING HELD ON 15-12-2025

18	13	BR09PA8618 (06.04.2023) श्रीमती स्वेता सोनी, पति—सर्वेश्वर कु0 चौधरी,, पता—आलमनगर, जिला—मधेपुरा।	प्रकाशन—17.11.25 अधिसूचित मार्ग संख्या—3045 आलमनगर से खगड़िया। भाया—बेलदौर, सोनवर्षाघाट, उसराहा(इसराहा) एवं महेशखूंट। ट्रिप—03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स—29.12.25 फिटनेश—06.04.27 बीमा—27.03.26 प्रदूषण—20.06.26	➤ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री धर्मवीर सहनी, वाहन सं0—**BR34P-6728** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय—सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय—सारणी के बीच निम्न टकराव है जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी :— आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता खगड़िया प्र0 12:44 12:45 महेशखूंट प्र0 13:33 13:35 बेलदौर प्र0 15:08 15:10 आलमनगर प्र0 15:59 16:00 बेलदौर प्र0 16:53 16:55 महेशखूंट प्र0 18:23 18:25 आवेदनकर्त्ता का आवेदन संदेहास्पद एवं त्रुटि पूर्ण है। प्राधिकार के निदेशानुसार समय—सारणी साफ एवं स्पष्ट अक्षरों में कम्प्युटर से टाइप किया होना चाहिए परन्तु आवेदनकर्त्ता द्वारा कहीं कम्प्युटर द्वारा कहीं कलम से समय—सारणी का प्रकाशन किया गया जो प्राधिकार का निर्णय का उल्लंघन है। उपरोक्त वाहन स्वामी का पहले से मार्ग सं0—3045 पर परमिट निर्गत है। श्रीमान् से प्राथना है कि वाहन सं0—BR09PA-8518 एवं BR09PA-8618, BR09PA-9818 का जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 20 से 30 दिनों का मात्र VLTD जाँच करवाने की कृपा करें, उसके उपरान्त वर्णित वाहन स्वामी के आवेदन पर विचार कर गलत पाये जाने पर उनके उपर कार्रवाई कर काली सूची में डालने की कृपा करें। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि समय—सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री धर्मवीर सहनी, वाहन सं0—**BR34P-7323** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय—सारणी मेरे वाहन के प्रस्तावित समय—सारणी के बीच निम्न टकराव है जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी :— आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता खगड़िया प्र0 19:28 19:29 आवेदनकर्त्ता द्वारा मुख्य बिन्दु पर 01 (एक मिनट) का अन्तराल है। वहीं आवेदनकर्त्ता का आवेदन त्रुटि पूर्ण है। प्राधिकार के निदेशानुसार समय—सारणी साफ स्पष्ट एवं कम्प्युटर द्वारा टाइप होना चाहिए। वहीं आवेदनकर्त्ता द्वारा आधा कम्प्युटर से कहीं हाथ से लिखित आवेदन किया है। आवेदनकर्त्ता मधेपुरा जिला से है परन्तु उन्होंने पता खगड़िया जिला दिया है।	➤ आवेदनकर्त्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है। परमिट आवेदन ऑनलाईन से हटा दिया जाय।

MEETING HELD ON 15-12-2025

					अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदक के विरूद्ध जाँच कर 420 के तहत् उन्हें काली सूची में करने की कृपा किया जाय। आवेदनकर्त्ता का मार्ग आलमनगर से खगड़िया है तथा प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग खगड़िया से आलमनगर है।	
19	14	BR09PA9818 (06.04.2023) श्रीमती स्वेता सोनी, पति–सर्वेश्वर कु० चौधरी,, पता–आलमनगर, जिला–मधेपुरा।	प्रकाशन–17.11.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 डाउन खगड़िया से आलमनगर। भाया–महेशखूँट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–29.12.25 फिटनेश–22.04.27 बीमा–20.04.26 प्रदूषण–20.06.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
20	15	BR09PA9218 (30.07.2019) श्री अमरेन्द्र कुमार, पिता–गणेश चौधरी,, पता–कुरसंडी, जिला–मधेपुरा।	प्रकाशन–17.11.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 डाउन खगड़िया से आलमनगर। भाया–महेशखूँट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–24.01.26 फिटनेश–21.08.27 बीमा–03.11.26 प्रदूषण–02.11.26	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री धर्मवीर सहनी, वाहन सं0–**BR34P-1673** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता खगड़िया प्र0 11:19 11:20 उपरोक्त वाहन का समय–सारणी ऋुटि पूर्ण है। प्राधिकार के निदेशानुसार समय–सारणी कम्प्युटर द्वारा साफ एवं स्पष्ट होना चाहिए परन्तु आवेदक द्वारा जानबूझकर कलम द्वारा एवं कुछ जगह कम्प्युटर द्वारा टंकित किया गया है। उपरोक्त वाहन स्वामी के वाहन का VLTD जाँच 30 से 20 दिनों का करते हुए उनपर कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने की कृपा करें। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री धर्मवीर सहनी, वाहन सं0–**BR19F-5949** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता खगड़िया प्र0 06:12 06:13 खगड़िया प्र0 16:56 16:59 महेशखूंट प्र0 17:48 17:49 आलमनगर प्र0 19:37 19:40 बेलदौर प्र0 20:16 20:17 उपरोक्त वाहन का समय–सारणी संदेहास्पद एवं ऋुटि पूर्ण है। प्राधिकार के निर्णयानुसार साफ एवं स्पष्ट अक्षरों में कम्प्युटर द्वारा होना चाहिए परन्तु वाहन स्वामी द्वारा कलम से ओभर	➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है। परमिट आवेदन ऑनलाईन से हटा दिया जाय।

MEETING HELD ON 15-12-2025

					राईटिंग किया गया है। उपरोक्त वाहन का पहले से मार्ग 3045 पर परमिट है। लेकिन वाहन का परिचालन अन्य मार्ग पर किया जाता है। इस वाहन का VLTD जाँच कर उनपर उचित कार्रवाई करने के साथ वैसे वाहन स्वामी को काली सूची में डालने की कृपा करें। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि समय–सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक द्वारा आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा करें। ➢ तृतीय आपत्तिकर्त्ता श्री धर्मवीर सहनी, वाहन सं0–**BR09R-1044** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता आलमनगर प्र0 14:19 14:19 उपरोक्त वाहन का समय–सारणी त्रुटि पूर्ण एवं संदेहास्पद है। उपरोक्त वाहन का पहले से मार्ग 3045 पर परमिट है। उक्त वाहन का VLTD जॉच 20 से 30 दिन का करने की कृपा करें। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि समय–सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक द्वारा आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा करें। ➢ चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता श्री धर्मवीर सहनी, वाहन सं0–**BR34P-7323** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के प्रस्तावित समय–सारणी के बीच निम्न टकराव है जिससे मुझे आर्थिक क्षति होगी :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता आलमनगर प्र0 08:35 08:37 बेलदौर प्र0 09:35 09:35 प्राधिकार के निदेशानुसार समय–सारणी कम्प्युटर द्वारा साफ स्पष्ट अक्षरों में होना चाहिए परन्तु आवेदक द्वारा कम्प्युटर द्वारा आधा एवं हस्तलिखित कलम द्वारा किया गया गया है जो संदेहास्पद एवं त्रृटि पूर्ण है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि समय–सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक द्वारा आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा करें। आवेदनकर्त्ता, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता का मार्ग खगड़िया से आलमनगर है।	

MEETING HELD ON 05-12-2025

21	16	BR27C4001 (07.03.2013) श्री शम्भू शरण सिंह, पिता–श्री दिनेश सिंह, पता–मल्लेयपुर, बरहट, जिला–जमुई।	प्रकाशन–17.11.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3219 डाउन, चकाई से मुंगेर। भाया–सोनो, जमुई, मल्लेपुर एवं खड़पुर। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–06.02.26 फिटनेश–07.08.26 बीमा–13.10.26 प्रदूषण–29.07.26	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री नंद किशोर यादव, वाहन सं0–**BR10PC-3929** का कहना है कि मार्ग चकाई से मुंगेर का स्थायी परमिटधारी हूँ। वाहन सं0–**BR10PC-3929** पर स्वीकृत एंव निर्गत है। परमिट एवं समय–सारणी संलग्न है। 2. कि शम्भू शरण सिंह द्वारा वाहन सं0–**BR27C-4001** मार्ग चकाई से मुंगेर पर स्थायी परमिट हेतु दाखिल आवेदन के साथ संलग्न प्रस्तावित समय–सारणी में मुंगेर प्रस्थान 01:40 अपराह्न प्रस्तावित की गई है जबकि मेरे वाहन सं0– **BR10PC-3929** का मुंगेर प्रस्थान 13:40 अर्थात् 01:40 अपराह्न है। मुंगेर में दोनों वाहनों के बीच खुलने का अन्तराल शून्य है। दोनों वाहन का मार्ग समान है। ऐसी स्थिति में दोनों वाहनों के बीच अस्वस्थ प्रतियोगिता होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि श्री शम्भू शरण सिंह को मुंगेर प्रस्थान मेरी बस सेवा के समय–सारणी के बाद दिया जाय। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री सुमित कुमार, वाहन सं0–**BR10PC-9317** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता जमुई बस स्टैण्ड से 07:44 में प्रस्थान कर मलयपुर रेलवे स्टेशन 07:55 में आगमन करते हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई का पत्रांक–2130, दि0–04.09.2025 के अनुसार मलयपुर से जमुई 07 किमी0 की दूरी 20 मिनट में तय की जा सकती है। आवेदक द्वारा उपरोक्त दूरी को 11 मिनट में तय करते हैं। आवेदक द्वारा गतिसीमा का उल्लंघन किया जा रहा है। आपत्तिकर्त्ता अपने वाहन का आगमन खड़गपुर में 15:20 में करते हैं तथा आवेदनकर्त्ता खड़गपुर में अपने वाहन का आगमन 15:20 में करते हैं। इस प्रकार खड़गपुर आगमन में दोनों वाहन के समय–सारणी में टकराव है। आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग चकाई से मुंगेर है।	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से मुख्य बिन्दु मुंगेर में प्रस्थान समय 13:40 पर टकराव है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से मध्य बिन्दु खड़गपुर में प्रस्थान समय पर टकराव नहीं है तथा आवेदनकर्ता द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक –2130, दि0–04.09.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन के अनुसार गतिसीमा का उल्लंघन है। आवेदनकर्त्ता श्री शम्भू शरण सिंह के तरफ से श्री प्रसेनजीत कुमार द्वारा एक आवेदन समर्पित कर संशोधित समय–सारणी समर्पित की गई है, जिसमें मुंगेर में प्रस्थान समय 13:40 के स्थान पर 13:45 एवं मलेयपुर में आगमन समय 07:55 के स्थान पर 08:04 संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त आलोक में आवेदनकर्त्ता द्वारा शपथ पत्र समर्पित करने के उपरान्त मुंगेर में प्रस्थान समय 13:40 के स्थान पर 13:45 एवं मलेयपुर में आगमन समय 07:55 के स्थान पर 08:04 संशोधित पर सशर्त्त स्वीकृति दी जाती है कि यदि कार्यवाही प्रकाशन के उपरांत एक सप्ताह के अन्दर उक्त संशोधित बिन्दु पर किसी वाहन से टकराव एवं गतिसीमा संबंधी आपत्ति प्राप्त होती है और टकराव या गतिसीमा का उल्लंघन अथवा दोनों पाया जाता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निर्धारित समयावधि में आपत्ति अप्राप्त रहने पर परमिट निर्गत किया जायेगा। यदि आवेदनकर्त्ता इस आशय का शपथ पत्र समर्पित नहीं करते हैं तो आवेदन अस्वीकृत किया जायेगा
22	17	BR09PA7093 (13.03.2017) श्री मुक्ति नाथ, पिता–श्री राम चन्द्र सिंह, पता–लोहियानगर, सुहृद्र नगर, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–17.11.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन, बेगुसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल।	टैक्स–24.11.25 फिटनेश–07.05.26 बीमा–29.03.26 प्रदूषण–05.08.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्रीमती सुनीता देवी, वाहन सं0–**BR09PA-9163** का कहना है कि कहना है कि :– 1. वाहन सं0–**BR09PA-7093** का आवेदन ऑनलाईन 17:24 में किया गया है जो प्रकाशन के क्रम सं0–17 पर अंकित है। 2. वाहन सं0–**BR09PA-7093** का ऑनलाईन आवेदन 17:24 में हुआ है तो ऑफलाईन कार्यालय में कब जमा किया गया होगा।	➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा आवेदन करने के निर्धारित समय के उपरांत आवेदन किया गया है, जो स्वीकार्य नहीं है। अतएव आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

			ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)		3. विभागीय ज्ञापांक–01–01–25/परि0–349, दि0–12.11.2025 में स्पष्ट आदेश है कि 13.11.2025 से 15.11. 2025 (संध्या 04:30 बजे तक) ऑनलाईन कर कार्यालय में ऑफलाईन जमा कर देना है, का उल्लंघन है। 4. अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन सं0–**BR09PA-7093** का आवेदन निर्गत सूचना परि0–349, दि0–12.11.2025 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतएव ऐसा आवेदन स्वीकृति योग्य नहीं है, निर्गत सूचना का स्पष्ट उल्लंघन है। अतएव आवेदन को अस्वीकृत किया जाए एवं सूचना निर्गत तिथि एवं समय के बाद आवेदन कार्यालय के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाए। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है।	

कार्यावली संख्या – 03

प्रतिहस्ताक्षर आवेदन

क्र0 सं0	आवेदन क्रमांक	वाहन सं0/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपो की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति की स्थिति (प्राप्त/अप्राप्त)	प्राधिकार का निर्णय
23	21	BR10PC-2503 (26.03.2025) B.S.R.T.C पता–तिलकामांझी गर्वमेन्ट बस स्टैण्ड, बरारी, जिला–भागलपुर।	प्रकाशन–17.11.2025 अधिसूचित मार्ग सख्या–1757, बेगूसराय से बांका। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, नारायणपुर, बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर डीपो, जगदीशपुर, रजौन, फुनसिया एवं ढाकामोड़। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–05.12.25 फिटनेश–05.03.27 बीमा–N/A प्रदूषण–05.03.26	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री नितेश कुमार, वाहन सं0– **BR11PA-2428** का कहना है कि वाहन सं0–**BR10PC-2503** के निर्गत परमिट के बिहपुर में जाने क्रम में समय–सारणी दिया गया है, लेकिन वापस आने में समय–सारणी नही दिया गया और गाड़ी मार्ग बांका से बेगूसराय है, जिसके प्रारंभ बेगूसराय से किया गया है जो गलत है और गाड़ी परिचालन परिवहन नियमावली से भिन्न और मेरे समय–सारणी में **Same** टाईम का परमिट निर्गत है। आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 13:35 13:35 अतः श्रीमान् से आग्रह है कि इस प्रतिहस्ताक्षर को रद्द करने की कृपा किया जाय। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्रीमती सुनीता देवी, वाहन सं0–**BR09PA-6688** का निवेदन पूर्वक कहना है कि कहना है कि वाहन सं0–**BR10PC-2503** का परमिट भागलपुर प्राधिकार से बेगूसराय – बांका मार्ग पर परमिट प्राप्त किया गया है जिसका प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन मुंगेर प्राधिकार में किया गया है, जिस पर वाहन सं0–**BR09PA-6688** से आपत्ति है :– 1. वाहन सं0–**BR10PC-2503** का	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से मुख्य बिन्दु बेगूसराय में प्रस्थान समय 13:35 पर टकराव है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से मध्य बिन्दु नारायणपुर में प्रस्थान समय 09:20 पर टकराव है। अतएव आवेदनकर्त्ता को उपरोक्त टकराव के बिन्दुओं पर अगली बैठक में संशोधित समय –सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।

MEETING HELD ON 15-12-2025

					Route Code 1757 मार्ग बेगूसराय से बांका पर निर्गत है, जो विधिवत् वैध नहीं है, क्योंकि गाड़ी का प्रस्थान बिन्दु बेगूसराय है तो रात्रि विश्राम भी बेगूसराय में ही होगा तभी गाड़ी का ट्रिप पुरा होगा का उल्लंघन है। परमिट के शर्त्त का उल्लंघन है। गाड़ी का रात्रि विश्राम बांका है। 2. वाहन सं0–**BR10PC-2503** के निर्गत परमिट बिहपुर ठहराव एक ट्रिप किया गया है एवं बिहपुर ठहराव एक ट्रिप शून्य दर्शाया गया है जो परमिट के शर्त्त का उल्लंघन है। अगर ठहराव हो गा तो सभी ट्रिप में होगा। 3. किसी भी संस्था या निजी व्यक्ति को प्राधिकार के निर्णय मुताबिक आई0टी0आर0 रिटर्न एवं पेशाकर कार्यालय में जमा करना है जो **B.S.R.T.C.** के वाहन संख्या–**BR10PC-2503** के द्वारा जमा नहीं किया गया है। प्राधिकार के नियम का उल्लंघन है। अगर **B.S.R.T.C.** को ऐसा छुट दिया गया है। परिवहन विभाग के किस नियम के अन्तर्गत दिया गया है, जबकि निजी व्यक्ति जो नौकरी करता है उसे भी आई0टी0आर0 रिटर्न देना पड़ता है। **B.S.R.T.C.** के द्वारा सिर्फ प्राधिकार को धोखा दिया जाता है। 4. वाहन सं0–**BR10PC-2503** एवं आपत्तिकर्त्ता वाहन संख्या–**BR09PA-6688** का नारायणपुर समय–सारणी 09:20 समान है जो निम्न है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता नारायणपुर प्र0 09:20 09:20 अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन संख्या– **BR10PC-2503** के प्रतिहस्ताक्षर आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा किया जाय।	
					आवेदनकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से बांका है, प्रथम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग अगुवानी से बेगूसराय है तथा द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है।	

MEETING HELD ON ...12-2025

कार्यावली संख्या – 04

प्राप्त परमिट के समय–सारणी में संशोधन

क्र. सं.	आवेदन क्रमांक	वाहन सं0 / निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग / दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति की स्थिति (प्राप्त / अप्राप्त)	प्राधिकार का निर्णय
24	20	BR10PC-9317 (04.10.2025) श्री सुमित कुमार, पिता–मंटू कुमार सिंह, पता–मिल्की गंगटामोड़, खड़गपुर, जिला–मुंगेर।	प्रकाशन–17.11.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3219 डाउन, चकाई से मुंगेर । भाया–सोनो, जमुई, मलयपुर एवं खड़गपुर। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–28.12.25 फिटनेश–03.10.27 बीमा–28.09.26 प्रदूषण–03.10.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री नंद किशोर यादव, वाहन सं0– **BR10PC-3929** का कहना है कि मार्ग चकाई से मुंगेर का स्थायी परमिटधारी हूँ। वाहन सं0–**BR10PC-3929** पर स्वीकृत एंव निर्गत है। परमिट एवं समय–सारणी संलग्न है। 2. कि सुमित कुमार के वाहन सं0–**BR10PC-9317** के पक्ष में मार्ग चकाई से मुंगेर पर स्थायी परमिट आवेदित समय–सारणी के साथ निर्गत है। श्री सुमित कुमार द्वारा निर्गत स्थायी परमिट के आवंटित समय–सारणी में खड़गपुर में आगमन समय 03:25 अर्थात 15:25 के स्थान पर 03:20 अपराह्न का प्रस्ताव दिया है एवं प्रस्थान समय पूर्ववत् अर्थात 03:55 ही है। खड़गपुर में जहाँ पूर्व में 30 मिनट का ठहराव था अब संशोधन के साथ 35 मिनट ठहराव हो जायेगा। खड़गपुर में बस पड़ाव नहीं है, बल्कि सड़क किनारे खड़ा कर यात्री उतारा एवं चढ़ाया जाता है। 35–35 मिनट सड़क किनारे खड़ा करने से जाम की स्थिति हो जाती है। श्री सुमित कुमार जहाँ पूर्व में मेरी बस सेवा के समय से 10 मिनट के अन्तराल पर आगमन करता था, वहीं संशोधन से 05 मिनट हो जायेगा। खड़गपुर 10 मिनट बाद पहुँचने के बजाय 05 मिनट बाद का संशोधन का कोई सार्थक कारण नहीं बताया गया है, बल्कि जान बुझकर झंझट पैदा करने के उद्येश्य से दिया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि बिना साक्ष्य ठोस कारण का संशोधन आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग चकाई से मुंगेर है।	➢ संशोधन हेतु प्रस्तावित समय –सारणी पर कोई आपत्ति नहीं है। अतएव खड़गपुर में आगमन समय 15:25 के स्थान पर 15:20 पर संशोधित करने की स्वीकृति दी जाती है।

अन्यान्य :–

1. उपर्युक्त स्वीकृत आवेदन के आलोक में सभी वाहन स्वामी कार्यवाही प्रकाशन के उपरान्त विभागीय निदेशानुसार 15 (पंद्रह) कार्य दिवस के अन्दर परमिट का उठाव करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा परमिट आवेदन / ऑनलाईन प्रविष्ट किये गये परमिट को बिना किसी सूचना के रद्द करते हुए ऑनलाईन से हटा दिया जायेगा।

MEETING HELD ON 05.12.2025

2. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि बैठक में स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में अनुपस्थित रहने के संबंध में बैठक से पूर्व प्राधिकार को संसूचित करते हुए पूर्वानुमति प्राप्त करेंगे। किसी विशेष परिस्थिति में ही जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा किन्हीं अन्य पदाधिकारी को बैठक में उपस्थिति होने हेतु प्राधिकृत कर सकेंगे जिसकी सूचना बैठक से पूर्व प्राधिकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन सख्ती से किया जाना है। दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सीट बस में अवश्य होनी चाहिए।
4. वाहनों में अग्नि शमन प्रणाली की व्यवस्था, आपातकालीन खिड़की/दरवाजा एवं प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक उपचार की व्यवस्था अवश्य रूप से रहनी चाहिए।
5. वाहनों में ज्वलनशील पदार्थों/वस्तुओं का वहन नहीं किया जाना है।
6. सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों के अधीन वाहनों में परावर्त्ती टेप लगाना अनिवार्य है।
7. वाहन में ड्राईवर का नाम/पता/मोबाईल नं0 चालक के बगल वाले दरवाजे पर लिखित रूप में होनी चाहिए।
8. यान का उपयोग किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ही या विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाएगा। मार्ग की जानकारी वाहन के दरवाजे पर हिन्दी के साथ–साथ उर्दू में भी अवश्य रूप से लिखित होनी चाहिए।
9. सवारी मोटर का प्रचालन किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ही या विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाएगा।
10. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अनुमोदित सवारी मोटर की समय–सारणी की प्रतियाँ यानों पर तथा मार्ग पर या उस क्षेत्र के विनिर्दिष्ट अड्डों और विराम स्थलों पर प्रदर्शित की जाएगी।
11. नगरपालिकाओं की सीमाओं के अन्दर तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों और स्थानों के अन्दर जो, जो विहित किए जाएं, यात्री या माल विनिर्दिष्ट स्थानों के सिवाय और कहीं चढ़ाया या उतारा नहीं जाएगा।
12. यानों में आराम और सफाई के विनिर्दिष्ट स्तर बनाए रखे जायेंगे।
13. अनुमोदित यात्री किराया सारणी के अनुसार ही किराए लिये जायेंगे।
14. यात्रियों को विनिर्दिष्ट विशिष्टियों वाली टिकटें दी जायेगी तथा उनमें वहीं यात्री किराया लिखाया हुआ होगा, जो वास्तव में लिया गया है और दी गई टिकटों का अभिलेख विनिर्दिष्ट रीति से रखा जायेगा।
15. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अनुमोदन के बिना परमिट के शर्त्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
16. महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अशिष्ट भाषा, किसी धर्म/समुदाय विशेष को आहत करने वाले गाने एवं विडियो का प्रदर्शन/चालन बसों में नहीं किया जायेगा।
17. व्यवसायिक सामानों का लदान बसों पर नहीं किया जाएगा।
18. कोई भी बस मालिक वैध एजेन्ट लाईसेन्स प्राप्त व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को एजेन्ट के रूप में बहाल नहीं करेंगे।
19. प्रत्येक बस में एक शिकायत पंजी रहेगी।
20. सभी वाहन स्वामी वाहन के बॉडी के दॉयी एवं बॉयी तरफ बड़े एवं गहरे अक्षरों में पीली सतह पर काले रंग से परमिट संख्या एवं उसकी वैधता की तिथि का स्पष्ट अंकण कराना सुनिश्चित करेंगे।

MEETING HELD ON 15-12-2025

21. निर्दिष्ट नाम, वाहन संख्या, समय–सारणी आदि में यदि त्रुटि परिलक्षित होती है, तो कार्यालय में संधारित संचिका में दर्ज अभिलेख सही मानी जाएगी।

22. किसी वाहन स्वामी द्वारा गतिसीमा का उल्लंघन कर प्रस्तुत समय–सारणी पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्राधिकार बोर्ड से स्वीकृति के उपरांत निर्गत होने के पश्चात् भी कार्यालय के संज्ञान में आने पर कोई आपत्ति प्राप्त होने पर आवेदक को विहित शुल्क के साथ संशोधित समय–सारणी प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा परमिट/आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

प्रशाखा पदाधिकारी, आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।	अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।	संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।	आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

ज्ञापांक :–सा0–01–01/2025 369 /परि0, मुंगेर, दिनांक– 17/12 /2025

प्रतिलिपि :–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल,मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–श्री नीरज कुमार, आई0टी0 सहायक, आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

MEETING HELD ON 15-12-2025